



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

इलाहाबाद, शनिवार, 2 अप्रैल, 2016 ई० (चैत्र 13, 1938 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

कानपुर नगर निगम

23 फरवरी, 2016 ई०

सं० 1421/3/प-शासन के पत्रांक संख्या 487/9-9-15-10ज/2015, दिनांक 08 मई, 2015 में दिये गये निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 541 के अन्तर्गत कानपुर नगर निगम (विज्ञापनों का प्रतिषेध, विनियमन एवं विज्ञापन कर वसूली उपविधि, 2016) की पाण्डुलिपि माननीय सदन, नगर निगम, कानपुर द्वारा पारित संकल्प संख्या 52, दिनांक 19 जुलाई, 2014 के अनुपालन में प्रस्तावित कर नियमानुसार प्रमुख दैनिक समाचार-पत्रों क्रमशः अमर उजाला एवं हिन्दुस्तान में दिनांक 19 अप्रैल, 2014 को सार्वजनिक सूचना/विज्ञप्ति प्रकाशित कर आपत्तियां आमंत्रित की गयी थी। निर्धारित समयावधि के अन्दर प्राप्त आपत्ति का बिन्दुवार निस्तारण कराते हुए माननीय सदन, नगर निगम, कानपुर द्वारा पारित संकल्प संख्या 157, दिनांक 21 नवम्बर, 2015 में लिये गये निर्णय के अनुसार कानपुर नगर निगम (विज्ञापनों का प्रतिषेध, विनियमन एवं विज्ञापन कर वसूली) उपविधि, 2016 नियमानुसार प्रकाशित किया जाता है—

1-संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ—(1) यह उपविधि कानपुर नगर निगम (विज्ञापन पर कर निर्धारण, प्रतिषेध, विनियमन व विज्ञापन कर वसूली उपविधि, 2016 कही जायेगी।

(2) इसका विस्तार कानपुर नगर निगम के सम्पूर्ण क्षेत्र में होगा।

(3) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2-परिभाषायें—2(I)(1) जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हों इस उपविधि में :

(1) "अधिनियम" से तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 से है ;

(2) "विज्ञापनकर्ता" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से जिसे इस उपविधि के अधीन कोई विज्ञापन या विज्ञापनपट परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, संप्रदर्शित करने, लगाने, चिपकाने, लिखने, सुनाने, चित्रित करने या लटकाने के लिए लिखित अनुमति प्रदान की गयी हो, और ऐसे व्यक्ति में उसका अभिकर्ता, प्रतिनिधि या सेवक सम्मिलित है और भूमि तथा भवन का स्वामी भी सम्मिलित है ;

(3) "विज्ञापन प्रतीक" से तात्पर्य विज्ञापन के प्रयोजन के लिए या तत्संबंध में सूचना देने के लिए या जनता को किसी स्थान, व्यक्ति, लोक निष्पादन, वस्तु या वाणिज्यिक माल, जो भी हो, के प्रति आकर्षित करने के लिए किसी संतह या संरचना या ध्वनि से है जिसमें ऐसे प्रतीक अक्षर या दृष्टान्त अनुप्रयुज्य हो जो द्वार के भीतर या बाहर, किसी भी रीति से संप्रदर्शित हो और उक्त संतह या संरचना या किसी भवन से संलग्न हो, उसका भाग हो या उससे संयोजित हो, या जो किसी वृक्ष या भूमि या किसी खम्भे, स्क्रीन बाड़ या विज्ञापनपट से जुड़ी हो या जो खाली स्थान पर संप्रदर्शित हो ;

(4) "विज्ञापन" का तात्पर्य विज्ञापन प्रतीक के माध्यम से विज्ञापन करने तथा अधिनियम की धारा-2 की उपधारा (1), धारा-172 की उपधारा ;

(5) "गुब्बारा" का तात्पर्य गैस से भरे हुए किसी गुब्बारे से है जो भूमि पर किसी बिन्दु से बंधा हो और कपड़े आदि के किसी फरहरे से या उसके बिना हवा में लहरा रहा हो ;

(6) "बैनर" से तात्पर्य ऐसी किसी नम्य वस्तु से है जिस पर कोई प्रतिकृति या चित्र संप्रदर्शित किये जा सकते हैं ;

(7) "बैनर प्रतीक" का तात्पर्य किसी प्रतीक से है जो अपने संप्रदर्शन की संतह के रूप में किसी झण्डी का उपयोग कर रहा हो ;

(8) "समिति" का तात्पर्य नियम-3 के अधीन गठित स्थल चयन समिति से है ;

(9) "निगम" का तात्पर्य कानपुर नगर निगम से है ;

(10) "विद्युतीय प्रतीक" का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जिसमें विद्युतीय साज-सज्जे, जो प्रतीकों के महत्वपूर्ण अंग हैं, प्रयुक्त किये जाते हैं ;

(11) "मैत्री प्रतीक" का तात्पर्य सड़क के दोनों ओर लोहे का मजबूत पिलर गाड़कर उसके ऊपर न्यूनतम निर्दिष्ट ऊंचाई पर आयताकार विज्ञापन प्रतीक से है ;

(12) "डिजिटल स्क्रीन" का तात्पर्य यह है कि ऐसे विज्ञापन पट जिसमें एक या उससे अधिक विज्ञापन प्रदर्शित किये जाते हों ;

(13) "भू विज्ञापन" का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी भवन से लगा हुआ न हो और जो भूमि पर या किसी खम्भे, स्क्रीन, बाड़ा या विज्ञापनपट पर परिनिर्मित या चित्रित हो और जनता के लिए दृश्य हो ;

(14) "प्रदीप्त प्रतीक" का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जो स्थायी या अन्यथा हो और जिसकी कार्यप्रणाली प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रकाश द्वारा उसे प्रदीप्त किये जाने पर आधारित हो, जिसमें स्थानीय टी0वी0 चैनल/छविगृहों में प्रदर्शित किये जाने वाला व्यवसायिक (Commercial) विज्ञापन में शामिल है ;

(15) "शमियाना विज्ञापन" का तात्पर्य ऐसे किसी विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी शमियाना बितान या ऐसी अन्य आच्छादित संरचना से सम्बद्ध हो या उससे टंगा हुआ हो जो किसी भवन की दीवार एवं भवन की सीमा रेखा से बाहर की ओर हो तथा जो भवन की दीवार एवं भवन सीमा रेखा से बाहर की ओर हो और अस्थायी रूप से संप्रदर्शित किया गया हो ;

(16) "प्रक्षेपित प्रतीक" का तात्पर्य ऐसे किसी विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी भवन से लगा हुआ हो और उससे 300 मीलीमीटर से अधिक बाहर की ओर हो ;

(17) "मार्ग अधिकार" का तात्पर्य सड़क के प्रयोजनार्थ सुरक्षित और संरक्षित भूमि की चौड़ाई से है ;

(18) "छत विज्ञापन" का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन से है जो किसी भवन की प्राचीर या छत के किसी भाग पर या उसके ऊपर परिनिर्मित हो या रखा गया हो जिसमें किसी भवन की छत पर चित्रित विज्ञापन सम्मिलित है ;

(19) "अनुसूची" का तात्पर्य इस उपविधि से संलग्न अनुसूची से है ;

(20) "बस सायबानो (शेल्टर) पर विज्ञापन" का तात्पर्य किसी बस संचालन के अधीन बस सायबान के ऊपर अथवा भीतर की ओर से प्रकाशित किये गये, टांगे गये अथवा चित्रित किये गये विज्ञापन प्रतीक से है ;

(21) "पुष्प पात्र (फ्लावर पॉट) स्टैण्ड विज्ञापन" का तात्पर्य शहर के अनुमन्य डिवाइडरों पर अथवा सड़क/फुटपाथ के अन्तिम छोर पर पर्यावरण की दृष्टिकोण से अनुकूल मौसमी पौधे लगाने के पश्चात् फ्लावर पॉट स्टैण्ड पर अनुमन्य/विहित आकार का विज्ञापन पट लगाये जाने से है ;

(22) "जनसुविधा स्थान पर विज्ञापन" का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन से है जो किसी जनसुविधा स्थान के ऊपर/पारा अथवा उसके भीतर किसी भी रीति से लगाये गये विज्ञापन से हैं ;

(23) "ट्रैफिक/पुलिस बूथ अथवा ट्रैफिक आईलैण्ड पर विज्ञापन" का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी ट्रैफिक/पुलिस बूथ अथवा ट्रैफिक आईलैण्ड के ऊपर अथवा उसके चारों ओर लगाया/लटकाया/चित्रित किया जाये ;

(24) "प्रतीक संरचना" का तात्पर्य किसी ऐसी संरचना से है जिससे को प्रतीक अवलम्बित हो ;

(25) "कर" का तात्पर्य अधिनियम की धारा-172 की उपधारा (2) के खण्ड (ज) में निर्दिष्ट विज्ञापन कर से है ;

(26) "अस्थायी विज्ञापन" का तात्पर्य अवकाश दिवसों या लोक प्रदर्शनों हेतु अलंकारिक प्रदर्शनों सहित, किसी सीमित अवधि के प्रदर्शन के लिए वांछित किसी विज्ञापन, झण्डा या वस्त्र, कैनवैश, कपड़े या किसी संरचनात्मक ढांचा से या उसके बिना किसी अन्य हल्की सामग्री से निर्मित अन्य विज्ञापन युक्ति से है ;

(27) "ट्री गार्ड विज्ञापन" का तात्पर्य अनुमन्य डिवाइडरों पर अथवा सड़क/फुटपाथ के अन्तिम छोर पर पर्यावरण के दृष्टिकोण से अनुकूल पौधे लगाने के पश्चात् ट्री गार्ड पर अनुमन्य/विहित आकार के संप्रदर्शित विज्ञापन प्रतीक से है ;

(28) "बरांडा प्रतीक" का तात्पर्य किसी बरांडा से सम्बद्ध, उससे संयोजित या उससे टांगे गये किसी विज्ञापन से है ;

(29) "दीवार प्रतीक" का तात्पर्य किसी क्षेपण प्रतीक से भिन्न ऐसे किसी विज्ञापन से है जो किसी भवन की बाह्य सतह या उसके संरचनात्मक भाग से सीधे सम्बद्ध हो या उस पर चित्रित किया गया या चिपकाया गया हो ;

(30) "मैदान" का तात्पर्य प्रत्येक प्रकार की खुली भूमि (Open Ground), पार्क (Park) अथवा खेल के मैदान (Play Ground) से है।

2(II) इस उपविधि में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित और अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए समनुदेशित हों।

3-स्थल चयन के लिए समिति का गठन—(1) नगर आयुक्त अथवा अपर नगर आयुक्त की अध्यक्षता में विभिन्न माध्यमों से विज्ञापन या विज्ञापन पट के लिए उचित और उपयुक्त स्थलों की पहचान करने के लिए और उसके आकार, ऊंचाई और सौन्दर्यात्मक पहलू का विनिश्चय करने एवं प्रतिबन्धित स्थलों के चयन के लिए एक समिति का गठन किया जायेगा।

(2) समिति में निम्नलिखित होंगे—

- | | |
|--|---------|
| (1) नगर आयुक्त अथवा नगर आयुक्त द्वारा नामित अपर नगर आयुक्त | अध्यक्ष |
| (2) सचिव कानपुर/संयुक्त सचिव, विकास प्राधिकरण | सदस्य |
| (3) परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग (जहां स्थल भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से सम्बन्धित हो) | सदस्य |
| (4) अधिशाषी अभियंता, लोक निर्माण विभाग (जहां स्थल लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित हो) | सदस्य |
| (5) नगर में यातायात का प्रभारी राजपत्रित अधिकारी (यातायात पुलिस विभाग) | सदस्य |
| (6) क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (जहां स्थल बस शेल्टर के आवंटन से सम्बन्धित हो) | सदस्य |

(7) मुख्य अभियन्ता, नगर निगम	सदस्य
(8) निगम का यातायात अभियन्ता या कोई अधिकारी जो अधिशाषी अभियन्ता की श्रेणी से भिन्न न हो।	सदस्य
(9) भारतीय रेल का एक प्रतिनिधि (जहां स्थल रेलवे से सम्बन्धित हो)	सदस्य
(10) प्रभारी अधिकारी (विज्ञापन)	सदस्य/सचिव
(11) सम्बन्धित जोन का जोनल अधिकारी	सदस्य

टिप्पणी—नगर आयुक्त, महापौर के परामर्श से किसी एक या एक से अधिक सदस्य को जैसा वह उचित समझे सहयोजित कर सकता है।

(3) समिति द्वारा परिलक्षित नवीन स्थलों पर अनुज्ञा प्रदान करने के लिए नगर आयुक्त द्वारा कम से कम दो प्रख्यात दैनिक समाचार-पत्रों के माध्यम से आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जायेंगे। विज्ञापन में प्रत्येक प्रस्तावित स्थल के सम्बन्ध में नगर आयुक्त द्वारा न्यूनतम प्रीमियम विनिर्दिष्ट होनी चाहिए।

(4) स्थलों की पहचान और समिति की संस्तुति के पश्चात् ही विज्ञापनों और विज्ञापन पटों की अनुज्ञा दी जायेगी

4-निषेध—(1) नगर आयुक्त से पूर्व में लिखित अनुज्ञा प्राप्त किये बिना—कोई व्यक्ति नगर निगम सीमा के भीतर किसी भवन, पुल, मार्ग, फुटपाथ, रेलवे प्रशासन की ऐसी दीवाल या सम्पत्ति की सतह के किसी भाग के जो किसी सड़क के सामने पड़ती हो, उपरिगामी सेतु या समस्त संलग्न भूमि या ट्री गार्ड, नगर प्राचीर, बाउण्ड्रीवाल, नगर द्वार, विद्युत या टेलीफोन के खम्भे, चल वाहनों या किसी भी खुले स्थान पर कोई विज्ञापन या किसी प्रकार की सूचना या चित्र, जिससे किसी सामान्य प्रज्ञा वाले व्यक्ति को विज्ञापन होने का आभास हो, न तो परिनिर्मित करेगा, न प्रदर्शित करेगा, न संप्रदर्शित करेगा, न चिपकायेगा, न लगायेगा, न लिखेगा, न चित्रित करेगा या न लटकायेगा या न सुनायेगा।

(2) निगम की सीमाओं के भीतर किसी भूमि या भवन का स्वामी, अध्यासी या अन्यथा अधिभोग करने वाला कोई व्यक्ति नगर आयुक्त की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना ऐसी भूमि या भवन के किसी भाग पर कोई विज्ञापन न तो परिनिर्मित करेगा, न प्रदर्शित करेगा, न सम्प्रदर्शित करेगा, न लगायेगा, न चिपकायेगा, न लिखेगा, न चित्रित करेगा या न लटकायेगा, न सुनायेगा और न ही किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे भवन या भूमि पर कोई विज्ञापन परिनिर्मित करने देगा, न प्रदर्शित, न सम्प्रदर्शित, न लगाने, चिपकाने, लिखने, चित्रित करने या न लटकाने देगा, न सुनवाने देगा, यदि ऐसा विज्ञापन किसी सार्वजनिक स्थान या सार्वजनिक मार्ग से दृश्य हो अथवा सार्वजनिक रूप से दृश्य हो।

(3) कोई विज्ञापन पट इस रीति से प्रतिष्ठापित नहीं किया जायेगा कि यातायात के संचालन में अग्र एवं पार्श्व भाग के दर्शित होने में कोई व्यवधान हो।

(4) कोई विज्ञापन पट, राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग के दाहिनी ओर और राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग के वाहन मार्ग (carriage way), छोर से 10 मीटर के भीतर प्रतिष्ठापित नहीं किया जायेगा।

(5) कोई विज्ञापन पट नियम के अधीन यथा विनिर्दिष्ट मार्गों के सिवाय अन्य मार्गों के छोर के 10 मीटर के भीतर नहीं प्रतिष्ठापित की जायेगी।

5-विज्ञापनकर्ताओं का पंजीकरण एवं नवीनीकरण—(1) पंजीकृत विज्ञापन एजेन्सियां ही विज्ञापन हेतु अनुमन्य होगी।

(2) विज्ञापनकर्ता/विज्ञापन एजेन्सी को "अ" श्रेणी में पंजीकरण हेतु ₹ 50,000.00 (पचास हजार) पंजीकरण शुल्क एवं ₹ 2,00,000.00 (दो लाख रुपये) धरोहर धनराशि "ब" श्रेणी में पंजीकरण हेतु ₹ 30,000.00 (तीस हजार) पंजीकरण शुल्क एवं ₹ 1,50,000.00 (एक लाख पचास हजार रुपये) धरोहर धनराशि "स" श्रेणी में पंजीकरण हेतु ₹ 20,000.00 (बीस हजार) पंजीकरण शुल्क एवं ₹ 1,00,000.00 (एक लाख रुपये) धरोहर धनराशि, "द" श्रेणी में पंजीकरण हेतु ₹ 15,000.00 (पन्द्रह हजार) पंजीकरण शुल्क एवं ₹ 75,000.00 (पछत्तर हजार रुपये) धरोहर धनराशि जमा करना होगा।

(3) पंजीकरण कराने हेतु प्रत्येक आवेदन अनुसूची-3 में विनिर्दिष्ट चिन्हित प्रपत्र में किया जायेगा जिसमें ₹ 500/- भुगतान करके नगर निगम, कानपुर के विज्ञापन विभाग से प्राप्त किया जायेगा या निगम के वेबसाइट से

डाउनलोड किया जा सकता है, तथापि आवेदन-पत्र प्रस्तुत करते समय आवेदन-पत्र के मूल्य की रसीद आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत की जायेगी।

(4) पंजीकरण का नवीनीकरण, वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होने के साथ 07 दिन के भीतर करना अनिवार्य होगा। नवीनीकरण शुल्क "ए" श्रेणी हेतु ₹ 30,000/-, "बी" श्रेणी हेतु ₹ 20,000/- एवं "सी" श्रेणी हेतु ₹ 10,000/- व "द" श्रेणी हेतु ₹ 5,000/- होगा।

5(ब)-अनुज्ञा प्राप्त करने की प्रक्रिया-(1) अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक आवेदन अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट, चिन्हित प्रपत्र में किया जायेगा जिसे ₹ 500/- भुगतान करके नगर निगम, कानपुर के विज्ञापन विभाग से प्राप्त किया जायेगा। आवेदन-पत्र प्रस्तुत करते समय आवेदन-पत्र के मूल्य की रसीद आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत की जायेगी।

(2) उपनियम-(1) में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन-पत्र में ऐसी भूमि, भवन या स्थान के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना निहित होगी, जहां ऐसी भूमि, भवन या स्थान के पास प्रस्तावित विज्ञापन या विज्ञापन पट पर निर्मित किया जाना, प्रदर्शित किया जाना, सम्प्रदर्शित किया जाना, लगाया जाना, चिपकाया जाना, उद्घोषित किया जाना वांछित हो और उसमें निम्नलिखित सूचना सम्मिलित होगी-

(क) प्रत्येक भू-विज्ञापन पट्ट की भूमितल से ऊंचाई, अवस्थिति, ढांचे की बनावट आदि की विशिष्टियों को आवंटन समिति द्वारा तय किया जायेगा और उसी के अनुरूप आवश्यक अभिकल्प संगण आवेदन-पत्र में प्रस्तुत की जायेगी।

(ख) पूर्ववर्ती विज्ञापनों के अतिरिक्त छत-विज्ञापनों, प्रक्षिप्त विज्ञापनों या भू-विज्ञापनों के मामले में सहायक क्रिया विधियां और स्थिरक-स्थानों के समस्त घटक और यदि नगर आयुक्त द्वारा अपेक्षित, हो तो आवश्यक अभिकल्प संगणनायें आवेदन-पत्र में प्रस्तुत की जायेगी,

(ग) कोई अन्य विशिष्टियां, जो नगर आयुक्त द्वारा अपेक्षित हो,

(घ) गुबारा विज्ञापनों के मामले में नगर आयुक्त द्वारा यथा अपेक्षित आवश्यक सूचना उपलब्ध करायी जायेगी।

(3) यदि विज्ञापन किसी सार्वजनिक मार्ग के पार्श्व भाग पर या किसी निजी परिसर में कोई संरचना लगाकर प्रदर्शित किया जाना या सम्प्रदर्शित किया जाना वांछित हो तो ऐसे आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित विवरण भी प्रस्तुत किया जायेगा-

(क) विज्ञापन और प्रस्तावित संरचना के आकार का विवरण,

(ख) नगर आयुक्त द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित संरचना अभियंता से सम्बन्धित भवन की सुदृढ़ता सम्बन्धी रिपोर्ट,

(ग) भू/भवन स्वामी की राहमति का अनुबन्ध-पत्र, आवेदन, आवश्यक चित्रों और संरचना-संगणनाओं सहित नगर आयुक्त द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित संरचना अभियंता के माध्यम से किया जायेगा। अभिकल्प संगणनाओं में लिया गया वायुभार राष्ट्रीय भवन संहिता, 2005 के भाग-4 "संरचना अभिकल्प धारा-1 भार, बल और प्रभाव के भाग-4 अनुसार होगा।

(4) यदि विज्ञापन या विज्ञापन पट किसी निजी भूमि या भवन या उसके किसी भाग पर परिनिर्मित किया जाना, प्रदर्शित किया जाना, लगाया जाना, चिपकाया जाना, लिखा जाना, चित्रित किया जाना या लटकाया जाना वांछित हो और आवेदक ऐसी भूमि या भवन का स्वामी न हो तो आवेदन-पत्र में ऐसी भूमि या भवन के स्वामी की लिखित अनुज्ञा/निष्पादित अनुबन्ध की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(5) उपनियम (4) में निर्दिष्ट भूमि या भवन के प्रत्येक स्वामी को लिखित रूप में वचन देना होगा कि किसी व्यक्तिक्रम की स्थिति में वह विज्ञापनकर्ता हेतु देय कर का भुगतान करने के लिए दायी होगा। नगर आयुक्त अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को विज्ञापन पट्ट हटाने हेतु परिसर में प्रवेश का अधिकार होगा।

(6) यदि भूमि का कोई स्वामी अपनी निजी भूमि पर विज्ञापन सम्प्रदर्शित करना चाहें तो उसे आवेदन-पत्र के साथ विस्तृत सूचना प्रस्तुत करनी होगी और इस उपविधि के अन्तर्गत अनुज्ञा लेनी होगी।

(7) यदि कोई व्यक्ति ट्री-गार्ड/फ्लावर पॉट को परिनिर्मित करने की अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् ऐसे ट्री-गार्डों/फ्लावर पॉट पर कोई विज्ञापन प्रदर्शित या सम्प्रदर्शित करता है तो वह इस उपविधि के अधीन कर भुगतान करने का दायी होगा।

(8) अनुज्ञा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए प्रदान की जायेगी जो नगर आयुक्त द्वारा लोक सुरक्षा और शिष्टाचार के हित में अधिरोपित की जायेगी।

(9) प्रत्येक आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तावित सम्पूर्ण प्रीमियम अथवा नगर आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रथम किश्त की धनराशि संलग्न करनी होगी, परन्तु यह कि प्रीमियम की अवशेष धनराशि नगर आयुक्त द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर जमा करना होगी।

6-क अनुज्ञा प्रदान करने की शर्तें—(1) किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, सम्प्रदर्शित करने, लगाने, चिपकाने, लिखने, चित्रित करने या लटकाने, उद्धोषित करने की अनुज्ञा निम्नलिखित निबन्धन एवं शर्तों पर प्रदान की जायेगी कि—

(क) अनुज्ञा केवल उस अवधि तक के लिए प्रभावी होगी जिस अवधि के लिए प्रदान की गयी हो, परन्तु यह कि कर या प्रीमियम सहित कर, इस उपविधि के अनुसार संदत्त और जमा किया गया हो,

(ख) विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट, पट्ट पर ऐसे रंगों और आकारों में लिखा जायेगा, चिपकाया जायेगा, समुद्धृत किया जायेगा, चित्रित किया जायेगा जैसा कि नगर आयुक्त द्वारा अनुमोदित किया जाये और विज्ञापन पट्ट, चाहे भूमि पर या भवन पर प्रतिष्ठापित किया गया हो, की ऊंचाई 6.2 मीटर से अधिक नहीं होगी। दो सन्निकट विज्ञापन पट्टों के मध्य की दूरी 10 मीटर से कम नहीं होगी। यूनीपोल लगाये जाने की दशा में दो यूनीपोल के मध्य की दूरी 15 मीटर से कम नहीं होगी,

(ग) विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट को समुचित दशाओं में सम्पूर्ण अनुज्ञा अवधि में रखा एवं अनुरक्षित किया जायेगा,

(घ) प्रदान की गयी अनुज्ञा अन्तरणीय नहीं होगी,

(ङ) विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट की विषय वस्तु या उसका विवरण नगर आयुक्त की लिखित अनुज्ञा के बिना परिवर्तन नहीं किया जायेगा,

(च) विज्ञापनकर्ता ऐसी अवधि जिसके लिए अनुज्ञा दी गयी थी, की समाप्ति से एक सप्ताह के भीतर विज्ञापन को हटा देंगे या उसे मिटा देंगे,

(छ) विज्ञापन बोर्ड या विज्ञापन पट्ट अनुज्ञात स्थान पर ही प्रतिष्ठापित किये जायेंगे, सम्प्रदर्शित किये जायेंगे या परिनिर्मित किये जायेंगे,

(ज) मार्ग/फुटपाथ के लिए खुली छोड़ी गई भूमि पैदल चलने वालों, साइकिल वालों आदि के लिए सुरक्षित रूप में चलने के लिए उपलब्ध रहेगी,

(झ) भवनों, यदि कोई हो, जो प्रतीकों और विज्ञापन पट्टों के समीप स्थित हो, के प्रकाश और यातायात किसी भी रूप में बाधित नहीं होंगे,

(ञ) लोकहित में नगर आयुक्त को यह अधिकार होगा कि वह अवधि समाप्त होने के पूर्व भी अनुज्ञा-पत्र को निलम्बित कर दे जिसके पश्चात् विज्ञापनकर्ता विज्ञापनों को हटा देगा,

(ट) विज्ञापनकर्ता को इस उपविधि और नगर आयुक्त द्वारा निर्धारित उपविधि का अनुपालन करना होगा,

(ठ) विज्ञापनों से अवस्थान का कलात्मक सौन्दर्य नष्ट नहीं होना चाहिए। किसी प्रकार के विज्ञापन हेतु पर्यावरण विभाग द्वारा प्रतिबन्धित प्लारिस्टिक का प्रयोग निषिद्ध होगा,

(ड) भवन से सम्बन्धित विज्ञापन पट्टों से भिन्न विज्ञापन पट्ट ऐसे भवनों यथा चिकित्सालयों, शैक्षिक संस्थानों, न्यायालयों, सार्वजनिक कार्यालयों, संग्रहालयों, धार्मिक पूजा के निमित्त अर्पित भवनों और राष्ट्रीय महत्व के भवनों के सामक्ष प्रदर्शित करने की अनुज्ञा नहीं होगी,

(ढ) विज्ञापनों का अनुरक्षण और निरीक्षण तथा उनके अवलम्ब नियम 24 के अनुसार होंगे,

(ण) समस्त विज्ञापन नियम 16 "समस्त विज्ञापनों के लिए सामान्य अपेक्षायें" में दी गयी सामान्य अपेक्षाओं के अनुरूप होंगे,

(त) विज्ञापन को वृक्षों या काष्ठमय पेड़ पौधे में गाड़ा, बांधा नहीं जायेगा।

(2) नगर आयुक्त द्वारा प्रदान की गयी लिखित अनुज्ञा या उनका नवीनीकरण तत्काल स्वतः समाप्त हो जायेगा—

(क) यदि कोई विज्ञापन या उसका कोई भाग किसी दुर्घटना या किन्हीं अन्य कारणों से गिर जाता है,

(ख) यदि कोई परिवर्द्धन, उसे सुरक्षित रखने के प्रयोजन को छोड़कर नगर आयुक्त के निर्देश के अधीन किया जाता है,

(ग) यदि बिना सूचना दिये विज्ञापन या उसके भाग में कोई परिवर्तन किया जाता है,

(घ) यदि उस भवन या संरचनाओं में कोई परिवर्द्धन या परिवर्तन किया जाता है जिस पर या जिसके ऊपर विज्ञापन परिनिर्मित किया गया हो और यदि ऐसे परिवर्द्धन या परिवर्तन में विज्ञापन पट्ट या उसका किसी भाग का व्यवधान सम्मिलित है, या

(ङ) यदि ऐसा भवन या संरचना, जिस पर या जिसके ऊपर विज्ञापन पट्ट परिनिर्मित, नियत या अवरुद्ध हो, भंजित या नष्ट हो जाती है।

6-ख प्रीमियम—(1) नगर आयुक्त प्रत्येक स्थल के लिए स्थल के महत्व के अनुसार न्यूनतम प्रीमियम की धनराशि नियत करेगा,

(2) मुहरबन्द लिफाफे में प्रस्ताव उपलब्ध कराने के लिए न्यूनतम सात दिन का समय दिया जायेगा,

(3) प्रस्ताव के साथ उसमें उल्लिखित न्यूनतम प्रीमियम की पूर्ण धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चेक संलग्न होनी चाहिए। प्रीमियम की शेष धनराशि प्रस्ताव की स्वीकृति के पश्चात् नगर आयुक्त द्वारा यथा निर्दिष्ट अवधि के अन्दर जमा करनी होगी।

7-आवंटन समिति—(1) नगर आयुक्त की अध्यक्षता में निगम में एक आवंटन समिति गठित की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे—

(एक) नगर आयुक्त द्वारा नामित अपर नगर आयुक्त सदस्य

(दो) निगम में तैनात यातायात सेल (ट्रैफिक सेल का अभियन्ता) सदस्य

(तीन) सम्बन्धित जोन का जोनल अधिकारी सदस्य

(चार) प्रभारी अधिकारी, विज्ञापन एवं विज्ञापन पट्ट जो सहायक नगर आयुक्त/कर निर्धारण अधिकारी की श्रेणी से भिन्न न हो सदस्य/सचिव

टिप्पणी—नगर आयुक्त, महापौर के परामर्श से एक या एक से अधिक सदस्य, जैसा वह उचित समझे सहयोजित कर सकते हैं।

(2) (एक) समिति सार्वजनिक भूमि/नगर निगम में निहित भूमि (गली, फुटपाथ, डिवाइडर, तिराहा, चौराहा, आईलैण्ड पार्क, या कोई सार्वजनिक स्थल) पर स्ट्रक्चर निर्मित करने हेतु उस स्थल के व्यावसायिक महत्व एवं उस स्थल के माध्यम से होकर गुजरने वाले व्यक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए प्रीमियम की न्यूनतम धनराशि निर्धारित करेगी।

(दो) समिति इस उपविधि में निर्दिष्ट प्रतिमानों के अनुसार आवेदन-पत्रों, प्रस्तावों की संवीक्षा करेगी और तदनुसार अनुमोदित करेगी।

(3) नियम 26 के अधीन कर सहित प्रीमियम की पूर्ण प्रस्तावित धनराशि जमा करने के पश्चात् उच्चतम प्रस्ताव करने वाले आवेदक को अनुज्ञा प्रदान करेगी। किसी विज्ञापन स्थल के लिए एक से अधिक समान प्रीमियम की धनराशि के प्रस्ताव प्राप्त होने पर सभी समान दर उद्धृत करने वाले आवेदकों से पुनः मोहर बन्द प्रस्ताव आमंत्रित करके, उच्चतम प्रस्ताव करने वाले आवेदक को अनुज्ञा प्रदान की जायेगी।

(4) सदस्य, सचिव समिति द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित अनुज्ञा आदेश जारी करेगा।

(5) यदि उच्चतम प्रीमियम प्रस्तावित करने वाला आवेदक किन्हीं कारणों से अनुमोदित प्रीमियम एवं विज्ञापन कर की धनराशि जमा नहीं करता है और निविदा से अपना प्रस्ताव वापस लेता है तो उसके द्वारा नीलामी/निविदा के लिए जमा की गई धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

(6) विस्तृत सूचना, अनुदेश और निबंधन एवं शर्तें अनुज्ञा आदेश में उल्लिखित की जायेगी।

(7) विज्ञापन (यथा-होर्डिंग, यूनीपोल, बस शेल्टर, गैन्ट्री इत्यादि) के लिए प्रत्येक स्थल की नीलामी या निविदा एवं विद्युत, टेलीफोन खम्भों, ट्री-गार्ड/फ्लावर पॉट पर विज्ञापन की नीलामी/निविदा एक ही रूप में उपर्युक्त रीति से की जायेगी।

(8) यदि कोई विज्ञापन निजी भूमि या भवन पर सम्प्रदर्शित किया जाना वांछनीय हो तो अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट वार्षिक विज्ञापन कर, विज्ञापनकर्ता द्वारा संदेय होगा।

(9) यदि विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट किसी सार्वजनिक मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य मार्ग को छोड़कर अनुज्ञा न हो) या इससे संलग्न भूमि या किसी सार्वजनिक स्थान विद्युत या टेलीफोन खम्भों या ट्री-गार्ड या चहारदीवारी पर सम्प्रदर्शित किया जाना, परिनिर्मित किया जाना या प्रदर्शित किया जाना हो, तो अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट वार्षिक कर और उच्चतम प्रीमियम की धनराशि आवेदक द्वारा संदेय होगी।

8-आवेदन-पत्रों की अस्वीकृति के आधार-नियम-4 के अधीन अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक आवेदन-पत्र निम्नलिखित किसी एक या उससे अधिक आधारों पर अस्वीकृत किया जा सकता है यह कि-

(क) आवेदन-पत्र में अपेक्षित सूचना और विवरण अन्तर्विष्ट न हो या वह इस उपविधि के अनुरूप न हो,

(ख) प्रस्तावित विज्ञापन अशिष्ट, अश्लील, घृणास्पद, वीभत्स या आपत्तिजनक प्रकृति का, या नगर निगम के प्रति प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला या राजनैतिक अभियान को उकसाने वाला या जनता अथवा किसी विशिष्ट वर्ग के व्यक्तियों हेतु अनिष्टकर या क्षतिकारक प्रभाव डालने हेतु संगणित प्रकृति का हो या ऐसे स्थान पर ऐसी रीति से या किसी ऐसे माध्यम से सम्प्रदर्शित हो, जैसा कि नगर आयुक्त की राय में उसमें किसी पड़ोस की सुविधाओं पर क्षतिकारक प्रभाव पड़ने या विकृत होने की सम्भावना हो या इसमें आपत्तिजनक लेख या अश्लील, नग्न रेखाचित्र या चित्र या मदोन्मत्तता का कोई प्रतीक अन्तर्विष्ट हो,

(ग) प्रस्तावित विज्ञापन से लोक शान्ति या प्रशान्ति में दरार उत्पन्न होने की सम्भावना हो या लोकनीति और एकता के विरुद्ध हो,

(घ) प्रस्तावित विज्ञापन से तूफान या अंधड़ के दौरान जीवन या सम्पत्ति के लिए क्षति उत्पन्न होने की सम्भावना हो,

(ङ) प्रस्तावित विज्ञापन से यातायात में अशांति या खतरा उत्पन्न होने की सम्भावना हो,

(च) प्रस्तावित विज्ञापन स्थल तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबन्धों से असंगत हो,

(छ) विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट किसी भूमि या भवन पर परिनिर्मित किया जाना या सम्प्रदर्शित किया जाना वांछनीय हो और ऐसी भूमि या भवन के सम्बन्ध में धारा 172 में निर्दिष्ट सम्पत्ति कर आवेदन करने के दिनांक को असंदत्त हो,

(ज) अन्य कोई कारण जिसे नगर आयुक्त नगर निगम के हित व जनहित में उचित समझे।

9-अनुज्ञा प्रदान करने की रीति-किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट को परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, सम्प्रदर्शित करने, लगाने, चिपकाने, लिखने, चित्रित करने या हस्तान्तरित करने हेतु आवंटन समिति की संस्तुति पर निम्नलिखित एक या उससे अधिक रीति से अनुज्ञा प्रदान करना नगर आयुक्त के लिए विधि सम्मत होगा-

(एक) सार्वजनिक नीलामी द्वारा, (नवीन अनुमति),

(दो) निविदा आमंत्रित करने के द्वारा (नवीन अनुमति),

(तीन) निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अधीन पूर्व में प्रदान की गई अनुज्ञा के नवीनीकरण द्वारा,

(चार) निजी स्थल/भवन पर विज्ञापन की अनुमति परिसर के मालिक की सहमति पर इस नियम के अन्य उपबन्धों के अधीन दी जा सकती है,

(किन्तु अनुज्ञा किसी भी दशा में नहीं दी जायेगी, जिससे यातायात एवं फुटपाथ पर पैदल चलने में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न हो)

10-अनुज्ञा की अवधि—अनुज्ञा की अवधि वही होगी जो अनुज्ञा-पत्र में विनिर्दिष्ट है। वार्षिक अनुज्ञा, अनुज्ञा के दिनांक से एक वर्ष की अधिकतम अवधि या उस वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक, जिसमें अनुज्ञा स्वीकार की गयी, इनमें जो भी पहले हो, होगी।

11-अनुज्ञा का नवीनीकरण—नगर आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रीमियम/नवीनीकरण शुल्क एवं सम्पूर्ण विज्ञापन कर जमा करने के पश्चात् अनुज्ञा का नवीनीकरण नियम 6(3) के अधीन किया जा सकता है। इसके लिए विज्ञापनकर्ता को अनुसूची-1 के रूप में संलग्न विहित प्रारूप पर आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना होगा। अनुज्ञा के नवीनीकरण होने के पश्चात् देय प्रीमियम/नवीनीकरण शुल्क एवं विज्ञापन कर जमा करना होगा।

12-विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट हटाने की शक्ति—(1) यदि कोई विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट इस उपविधि के उल्लंघन में परिनिर्मित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, सम्प्रदर्शित किया जाता है, लगाया जाता है, सुनाया जाता है, चिपकाया जाता है, लिखा जाता है, चित्रित किया जाता है या लटकाया जाता है या लोक सुरक्षा के लिए परिसंकटमय या खतरनाक हो या वह सुरक्षित यातायात संचालन हेतु अशान्ति का कारण हो तो नगर आयुक्त, विज्ञापनकर्ता को किसी नोटिस के बिना उसे हटवा सकता है या मिटा सकता है और जमा प्रतिभूति से निम्नलिखित धनराशियों की वसूली कर सकता है—

(क) ऐसे हटाये जाने या मिटाये जाने का व्यय, और

(ख) ऐसी अवधि, जिसके दौरान ऐसा विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट ऐसे उल्लंघन में परिनिर्मित किया गया था, प्रदर्शित किया गया था, सम्प्रदर्शित किया गया था, लगाया गया था, चिपकाया गया था, लिखा गया था, चित्रित किया गया था, या लटकाया गया था, के लिए क्षतियों की धनराशि।

(2) जब कभी कोई विज्ञापन नगर आयुक्त द्वारा किसी नोटिस या आदेश या अन्यथा के परिणामस्वरूप हटाया जाता है तब ऐसे भवन या स्थल, जिस पर या जिससे ऐसा विज्ञापन सम्प्रदर्शित किया गया था, में किसी क्षति या विकृति को नगर आयुक्त के समाधान पर्यन्त ठीक किया जायेगा। यदि विज्ञापन हटाये जाने के दौरान मार्ग/सड़क/फुटपाथ यातायात संकेतक या कोई अन्य लोक उपयोगिता की सेवायें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तो विज्ञापनकर्ता से वसूल की गयी धनराशि को निगम द्वारा सम्बन्धित विभाग को अन्तरित कर दिया जाना चाहिए।

13-विज्ञापन पर निर्बन्धन—(1) किसी संविदा या करार में अन्तर्विष्ट किसी के प्रतिकूल होते हुए भी कोई विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट परिनिर्मित नहीं किया जायेगा, प्रदर्शित नहीं किया जायेगा, सम्प्रदर्शित नहीं किया जायेगा, लगाया नहीं जायेगा, चिपकाया नहीं जायेगा, लिखा नहीं जायेगा, चित्रित नहीं किया जायेगा या लटकाया नहीं जायेगा, यदि—

(एक) यह आकार में 12.2 मीटर × 6.2 मीटर से अधिक हो और इसका तल आधार भूतल से ऊपर 02 मी0 से कम हो,

(दो) यह किसी मार्ग, मार्ग संधियों या सेतुओं के अनुप्रस्थ भाग के मध्य से होते हुए मार्ग से मापे गये 20 मीटर के अन्तर्गत किसी स्थान पर अवस्थित हो,

(तीन) यह मार्ग के समानान्तर न हो या इससे यानीय या पैदल चलने वाले यातायात में बाधा उत्पन्न होती हो या बाधा उत्पन्न होने की सम्भावना हो,

(चार) समिति की राय में प्रस्तावित स्थल विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट के लिए अनुपयुक्त हो,

(पांच) यह मार्ग के उस पार एवं मार्ग पट्टरी/पगडण्डी पर रखा गया हो,

(छः) यह ऐतिहासिक या राष्ट्रीय स्मारकों, सार्वजनिक भवनों और दीवारों, चिकित्सालयों, शैक्षणिक संस्थाओं, न्यायालयों, सार्वजनिक कार्यालयों और पूजा स्थलों के चारों ओर अवस्थित हो,

(सात) स्थल नियम-22 के अधीन इस प्रयोजनार्थ निगम या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित प्रतिषिद्धि क्षेत्र के भीतर पड़ता हो,

(आठ) जर्जर स्थानों में हो जिसके आंधी-पानी (बरसात) में गिरने की सम्भावना हो।

(2) विज्ञापनों और विज्ञापन पट्टों को निम्नलिखित रूप में अनुज्ञा नहीं दी जायेगी—

(एक) ऐसी रीति से और ऐसे स्थानों पर जिससे कि यातायात के पहुंचने, संविलीन होने या प्रतिच्छेदित होने की दृश्यता में बाधा या व्यवधान उत्पन्न होता हो,

(दो) राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों के दायीं ओर मार्ग के भीतर और राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों के यान मार्ग के छोर के 10 मीटर के भीतर एवं समस्त प्रमुख चौराहों की दूरी 20 मीटर के भीतर,

(तीन) किसी लोक प्राधिकरण यथा यातायात प्राधिकरण, लोक परिवहन प्राधिकरण या स्थानीय प्राधिकरण या लोक निर्माण विभाग या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के आदेशों के अधीन मार्ग से होते हुए यातायात के विनियमन के लिए परिनिर्मित किसी साइन बोर्ड के 50 मीटर के भीतर,

(चार) ऐसे रूप में जिससे लोक प्राधिकरणों द्वारा यातायात नियंत्रण के लिए परिनिर्मित किसी चिन्ह, संकेतक या अन्य युक्ति के निर्वचन में विघ्न व्यवधान उत्पन्न हो,

(पांच) किसी मार्ग के पार लटकाये गये पट्टों, भित्ति पत्रकों, वस्त्र-झण्डियों या पत्रक पर जिनसे चालक का ध्यान विचलित होता हो और इसलिए परिसंकटमय हो,

(छः) ऐसे रूप में जिससे पैदल चलने वालों के मार्ग में व्यवधान उत्पन्न हो और चौराहे पर उनकी दृश्यता बाधित हो,

(सात) जब इनसे स्थानीय व जन सुविधायें प्रभावित हो,

(आठ) प्रतिबन्धित क्षेत्र में डिवाइडर जो हाइटेशन लाइन के नीचे, पार्क, ग्रीन बेल्ट आदि स्थानों पर बैनर क्यारस्क, यूनीफोल, विज्ञापन पट्ट को निर्बन्धित करते हुए मोतीझील परिसर में धार्मिक कार्यों को छोड़कर प्रतिबन्धित क्षेत्र होगा।

(3) (एक) निजी भवनों पर पोस्टर चिपकाने अथवा वॉल साइंटिंग के पूर्व भवन स्वामी की लिखित अनुमति आवश्यक होगी। सार्वजनिक भवनों, दिशा-सूचकों और महत्व सूचनाओं/नोटिस वाले विज्ञापन पट्टों पर पोस्टर लगाना अथवा कुछ लिखना पूर्णतः प्रतिबन्धित एवं दण्डनीय अपराध होगा।

(दो) सड़क पर क्रास बैनर पूर्णतः प्रतिबन्धित होगा,

(तीन) गैन्ट्री प्रतीकों के लिए यह आवश्यक होगा कि गैन्ट्री के दोनों छोरों पर स्थान बोधक, दिशा सूचक शब्द एवं दूरी का उल्लेख किया जाय जो विज्ञापन के कुल आकार का न्यूनतम 30 प्रतिशत से कम नहीं होगा। गैन्ट्री की सड़क से न्यूनतम ऊंचाई इस प्रकार रखी जायेगी कि समान लदा हुआ भारी ट्रक नीचे से आसानी से गुजर सके,

(चार) फलावर पॉट में मौसमी पुष्पों वाले पौधे ही लगाये जा सकेंगे। कैक्टस वाले फलावर पॉट अनुमन्य नहीं होंगे,

(पांच) सड़क के किनारे अथवा डिवाइडर पर लगे किसी भी बड़े वृक्ष जो स्वावलम्बी हो चुके हैं एवं बड़े वृक्ष के नीचे ट्री-गार्ड/फलावर पॉट लगाकर विज्ञापन प्रदर्शित किया जाना निषिद्ध होगा,

(छः) किसी भी पोल पर अधिकतम दो क्रियास्क जिनके पार्श्व भाग आपस में इस प्रकार सटे होंगे जिसमें एक दिशा से एक ही क्रियास्क दृश्य होगा, अनुमन्य होंगे।

(4) निम्नलिखित प्रकार के प्रदीप्त विज्ञापनों और विज्ञापन पट्टों की अनुज्ञा नहीं होगी—

(एक) विज्ञापन और विज्ञापन पट्ट जिनके जनसेवा सूचना यथा समय, ताप, मौसम या दिनांक इंगित करने वाले प्रकाशों को छोड़कर कोई चौधने वाले आंतरायिक या गतिमान प्रकाश अन्तर्विष्ट है, सम्मिलित है या जो उनके द्वारा प्रदीप्त है,

(दो) ऐसी सघनता या चमक वाले प्रदीप्त विज्ञापन पट्ट जिसमें चौध उत्पन्न हो या चालक अथवा पैदल चलने वालों की दृष्टि बाधित होती हो, या जिससे किसी चालन क्रिया में विघ्न पड़ता हो,

(तीन) विज्ञापन और विज्ञापन पट्ट, जो इस रूप में प्रदीप्त हों जिससे कि किसी शासकीय यातायात विज्ञापन पट्ट, युक्ति या संकेतक का प्रभाव बाधित होता हो या क्षीण होता हो।

14-छत के ऊपर के विज्ञापन पट्टों के सम्बन्ध में निर्बन्धन-(1) किसी भवन की छत पर परिनिर्मित, प्रदर्शित या सम्प्रदर्शित किये जाने वाले विज्ञापनों या विज्ञापन पट्टों के मामले में केवल प्लास्टिक की विनायल या वस्त्र पत्रक अनुमत्त है,

(2) नियम-6 और नियम-13 के अधीन रहते हुए किसी भवन की छत पर विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट की ऊंचाई अधिकतम 6.2 मीटर से अधिक नहीं होगी और चौड़ाई किसी भी दशा में भवन की क्षैतिज चौड़ाई से अधिक नहीं होगी।

15-विज्ञापन पट्टों का प्रकार-1-विज्ञापन पट्ट निम्नलिखित प्रकार के हैं-

- (क) वैद्युत और प्रदीप्त विज्ञापन/वैद्युत डिजिटल विज्ञापन,
- (ख) भू-विज्ञापन,
- (ग) छत विज्ञापन,
- (घ) बरामदा विज्ञापन/दुकान विज्ञापन,
- (ङ) दीवार विज्ञापन,
- (च) प्रक्षिप्त विज्ञापन,
- (छ) शामियाना विज्ञापन,
- (ज) आकाशीय विज्ञापन,
- (झ) विविध और अस्थायी विज्ञापन,
- (ञ) ट्रैफिक/पुलिस बूथ अथवा ट्रैफिक आईलैण्ड विज्ञापन,
- (ट) जनसुविधा स्थान पर विज्ञापन,
- (ठ) विशेष प्रकार की छतरी विज्ञापन,
- (ड) पताका/झण्डी विज्ञापन, द्वार विज्ञापन, गुब्बारा विज्ञापन,
- (ढ) ट्री-गार्ड/फलावर पॉट डिस्प्ले,
- (ण) गैन्ट्री विज्ञापन,
- (त) बिल्डिंग ग्लास, फसाडवॉल, रैप, वाटर अँक विज्ञापन।

(क) वैद्युत विज्ञापन और प्रदीप्त विज्ञापन-

क-1 वैद्युत विज्ञापन की सामग्री, जहां विज्ञापन पूर्णतः पुंज प्रकाश युक्त विज्ञापन हो, उसे छोड़कर प्रत्येक वैद्युत विज्ञापन पट्ट अज्वलशील सामग्री से निर्मित किया जायेगा।

क-2 वैद्युत विज्ञापनों और प्रदीप्त विज्ञापनों का स्थापन-

प्रत्येक वैद्युत विज्ञापन और प्रदीप्त विज्ञापन को राष्ट्रीय भवन संहिता, 2005 भाग-8, भवन सेवायें, धारा-2 विद्युत एवं समवर्गी स्थापन, के अनुसार स्थापित किया जायेगा।

क-3 लाल, तृणमणि जैसा या हरे रंग में कोई प्रदीप्त विज्ञापन, किसी प्रदीप्त यातायात विज्ञापन के 10 मीटर की क्षैतिज दूरी के भीतर परिनिर्मित या अनुरक्षित नहीं किया जायेगा।

क-4 दो मंजिल से कम की ऊंचाई पर या पगडण्डी से 6.2 मीटर ऊपर जो भी अधिक हो पर सफेद प्रकाश से भिन्न प्रकाश द्वारा प्रदीप्त समस्त विज्ञापन पट्ट समुचित रूप से प्रदर्शित किये जायेंगे जिससे कि यातायात के नियंत्रण में विज्ञापन पट्ट या संकेतक से होने वाले किसी प्रकार के व्यवधान को सन्तोषजनक रूप में रोका जा सके।

क-5 गहन प्रदीप्त-

कोई व्यक्ति ऐसा कोई विज्ञापन परिनिर्मित नहीं करेगा जा ऐसे गहन प्रदीप्त का हो जिससे कि संलग्न या समीपवर्ती भवनों के निवासियों को व्यवधान उत्पन्न हो। ऐसे परिनिर्माण के लिए दी गयी किसी अनुज्ञा के होते हुए भी किसी ऐसे विज्ञापन, जो परिनिर्माण के पश्चात् नगर आयुक्त की राय में ऐसी गहन प्रदीप्त का हो जिससे कि संलग्न या निकट के भवनों के अध्यासियों को व्यवधान उत्पन्न हो, को नगर आयुक्त के आदेश के आधार पर सम्बन्धित स्थल के स्वामी द्वारा ऐसी युक्तियुक्त अवधि, जैसा कि नगर आयुक्त विनिर्दिष्ट करें, के भीतर समुचित रूप में परिवर्तित कर दिया जायेगा या उसे हटा दिया जायेगा।

क-6 परिवर्तन अवधि-

नगर आयुक्त की राय में, जन सुख सुविधा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के हित में, आवश्यक विज्ञापन से भिन्न कोई वैद्युत विज्ञापन, मध्यरात्रि और सूर्योदय के मध्य प्रचलित नहीं किया जायेगा।

क-7 चौंधने वाला, ओझल करने वाला और जीवंतता प्रदान करने वाला-

कोई चौंधने वाला, ओझल करने वाला और जीवंतता परक विज्ञापन पट्टिका, जिसकी बारम्बारता प्रति मिनट 30 चौंध से अधिक हो, इस प्रकार परिनिर्मित की जायेगी कि ऐसे विज्ञापन पट्टों का न्यूनतम छोर भूतल से 9 मीटर से ऊपर से कम न हो।

क-8 विमानपत्तनों के निकट प्रदीप्त विज्ञापनों के लिए विमानपत्तन प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना चाहिए।

ख-भू-विज्ञापन**ख-1 सामग्री-**

ढांचों, अवलम्बों और पट्टी सहित 06 मीटर से अधिक ऊंचाई वाला प्रत्येक भू-विज्ञापन, नियम-16 के उपनियम (4) में दी गयी सामग्री को छोड़कर अज्वलनशील सामग्री से निर्मित किया जायेगा।

ख-2 आयाम-

कोई भी भू विज्ञापन भूमि से ऊपर 06 मीटर से अधिक की ऊंचाई में परिनिर्मित नहीं किया जायेगा। प्रकाश परावर्तन विज्ञापन के अग्रभाग या मुख्य भाग से ऊपर जा सकता है।

ख-3 अवलम्ब और स्थिरक स्थान-

प्रत्येक भू-विज्ञापन को भूमि पर दृढ़तापूर्वक अवलम्बित और स्थिर किया जायेगा। अवलम्ब और स्थिरक, सुसाध्यतानुसार संसाधित काष्ठ के होंगे या संक्षारण रोध या चिनाई या कंक्रीट हेतु संसाधित धातु के होंगे।

ख-4 स्थल सफाई-

किसी स्थल जिस पर कोई भू-विज्ञापन परिनिर्मित हो, का स्वामी नगर आयुक्त के अनुमोदन हेतु स्थल के ऐसे भाग, जो मार्ग से दृश्य हो को स्वच्छ, साफ, निर्मल और समस्त गन्दे पदार्थों तथा कुरूप स्थितियों से मुक्त रखने के लिए उत्तरदायी होगा।

ख-5 यातायात में आपत्ति-

ऐसा कोई भू-विज्ञापन परिनिर्मित नहीं किया जायेगा जिससे कि किसी भवन में मुक्त प्रवेश में या उसके निकास में व्यवधान उत्पन्न हो,

ख-6 तल निर्बाधन के समस्त भू-विज्ञापनों का तल आधार भूमि से कम से कम 2 मीटर ऊपर होगा किन्तु अंतरावर्ती स्थान का जालदार कार्य या वेदी सजावटी व्यवस्था से पूरा किया जा सकता है।

ख-7 भू-चित्रित विज्ञापन, जहां प्रयोज्य हों, वहां नियम-16 की अपेक्षाओं के अनुरूप होंगे।

ग-छत विज्ञापन**ग-1 सामग्री-**

नियम-16 के उपनियम (4) में दी गयी व्यवस्था को छोड़कर ढांचों, अवलम्बों और पट्टियों सहित प्रत्येक छत विज्ञापन पट्टिका को अज्वलनशील सामग्री से निर्मित किया जायेगा। समस्त धात्विक पुर्जों के वैद्युत भू-आच्छादन की व्यवस्था की जायेगी और जहां ज्वलनशील सामग्रियां अक्षरों या अन्य साज-सज्जों में अनुज्ञात हो वहां समस्त लेख और नलिकायें उसमें मुक्त और रोधित रखी जायेगी।

ग-2 अवस्थिति-

(क) किसी भवन के छत पर कोई छत विज्ञापन, इस प्रकार नहीं रखा जायेगा जिससे कि छत के एक भाग से दूसरे भाग में मुक्त प्रवेश में व्यवधान उत्पन्न हों।

(ख) कोई छत विज्ञापन किसी भवन के छत पर या उसके ऊपर तब तक नहीं रखा जायेगा जब तक सम्पूर्ण छत का निर्माण अज्वलनशील सामग्री का न हो।

ग-3 क्षेपण-

कोई छत विज्ञापन भवन के विद्यमान भवन लाइन जिस पर यह परिनिर्मित हो के परे/प्रक्षेपित नहीं होगा अथवा वह छत के ऊपर किसी भी दशा में नहीं बढ़ेगा।

ग-4 अवलम्ब और स्थिरक-

प्रत्येक छत विज्ञापन को पूर्णतया सुरक्षित रखा जायेगा और उसे ऐसे भवन, जिस पर या जिसके ऊपर या परिनिर्मित हो, पर स्थिर किया जायेगा। सम्पूर्ण भार भवन के संरचनात्मक भागों में सुरक्षित रूप में सवितरित होंगे।

ग-5 विमानपत्तनों के समीप छत विज्ञापनों हेतु विमानपत्तन प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना चाहिए।

ग-6 चित्रित छत विज्ञापन जहां प्रयोज्य हो, नियम-16 "समस्त विज्ञापनों हेतु सामान्य अपेक्षाएं" के अनुरूप होंगे।

घ-बरामदा-**घ-1 सामग्री-**

प्रत्येक बरामदा विज्ञापन नियम-16 के उपनियम (4) में दी गयी व्यवस्था को छोड़कर पूर्णतः अज्वलनशील सामग्री से निर्मित किया जायेगा।

घ-2 आयाम-

कोई बरामदा विज्ञापन ऊंचाई में 10 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। किसी बरामदा से लटकाया जाने वाला कोई बरामदा विज्ञापन लम्बाई में 2.5 मीटर और मोटाई में 50 मिली मीटर से अधिक नहीं होगा, इसके सिवाय विज्ञापन के प्रमुख अग्रभागों के मध्य मापित और पूर्णतया धातुगत तार युक्त शीशे से निर्मित मोटाई में 200 मीटर से अनधिक मापवाला बरामदा बाक्स विज्ञापन, परिनिर्मित किया जा सकता है।

घ-3 सरेखण-

प्रत्येक बरामदा विज्ञापन, भवन लाइन के समान्तर स्थापित किया जायेगा। इसके सिवाय किसी बरामदा से लटकने वाले ऐसे किसी विज्ञापन को भवन लाइन के समकोण पर स्थापित किया जायेगा।

घ-4 स्थान-

बरामदा पट्टिका को जो लटकाने वाले विज्ञापन पट्ट से भिन्न हो, निम्नलिखित स्थान पर लगाया जायेगा-

(एक) बरामदा, छत की ओरी के ठीक ऊपर ऐसी विधि से कि वह छत के गटर के पिछले भाग से बहिर्निष्ठ न हो,

(दो) बरामदा, मुंडेर या आलम्ब के सामने किन्तु उसके ऊपर या नीचे नहीं, परन्तु ऐसी मुंडेर या आलम्ब ठोस हो और विज्ञापन पट्टिका ऐसी मुंडेर या आलम्ब के बाहरी अग्रभाग से 20 से0मी0 से अधिक बहिर्निष्ठ न हो,

(तीन) पेन्ट किये हुए विज्ञापन पट्टिकाओं की दशा में बरांडा धरनों या मुंडेरों पर।

घ-5 लटकते हुए बरांडा विज्ञापन पट्टिकाओं की ऊंचाई-

किसी बरांडा से लटकता हुआ प्रत्येक बरामदा विज्ञापन पट्टिका इस प्रकार लगायी जायेगी कि ऐसी पट्टिका का सबसे निचला भाग खड़जा से कम से कम 2.5 मीटर ऊपर हो।

घ-6 प्रक्षेपण-

घ-4 में यथाउपबन्धित के सिवाय कोई भी बरांडा विज्ञापन पट्टिका उस लाइन से, जिससे वह लगी हो, बाहर निकली हुई नहीं होगी।

ङ-दीवार विज्ञापन-

प्रत्येक दीवार विज्ञापन पट्ट 3 गुणे 3 मीटर को एक यूनिट मानते हुए बिना किसी ज्वलनशील पदार्थ के परिनिर्मित किया जायेगा।

(क) प्रतिबन्धित क्षेत्रों/सार्वजनिक कार्यालयों, न्यायालयों, धार्मिक स्थलों, शिक्षण संस्थाओं, राष्ट्रीय स्मारकों आदि की दीवारों पर विज्ञापन प्रतिषिद्ध रहेगा।

(ख) नगर/स्थल के कलात्मक सौंदर्य व अन्य विशिष्टियों के मामले में दीवार विज्ञापन के सम्बन्ध में नगर आयुक्त द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

च-प्रक्षेपण विज्ञापन पट्टिकाएं-

च-1 सामग्री-

प्रत्येक प्रक्षेपण विज्ञापन पट्टिका और उसका अवलम्ब एवं चौखटा पूर्णतः अज्वलनशील पदार्थ से निर्मित होगा।

च-2 प्रक्षेपण एवं ऊंचाई-

कोई भी प्रक्षेपण पट्टिका अपने अवलम्ब या चौखटे के किसी भाग में भवन के बाहर 02 मीटर से अधिक प्रक्षिप्त नहीं होगी किन्तु यह मार्ग के सामने भूखण्ड लाइन के बाहर प्रक्षिप्त नहीं होगी, जब यह मार्ग में प्रक्षिप्त होती हो तो यह सड़क से 2.5 मीटर की स्पष्ट ऊंचाई पर होगी।

(क) समस्त प्रक्षेपण पट्टिकाओं के अक्ष भवन के मुख्य अग्रभाग के दाहिने कोण पर होंगे। जहां अग्रभाग के लिए वी-निर्माण किया गया हो वहां भवन के सामने विज्ञापन पट्टिका का आधार कुल प्रक्षेपण की सीमा से अधिक नहीं होगा।

(ख) कोई भी प्रक्षेपण पट्टिका छत की ओरी के ऊपर या भवन आकृति के उस भाग, जिससे वह लगी हो, के ऊपर नहीं निकली होगी।

(ग) किसी प्रक्षेपण पट्टिका की अधिकतम ऊंचाई 06 मीटर होगी।

च-3 अवलम्ब एवं संलग्न-

प्रत्येक प्रक्षेपण पट्टिका किसी भवन से सुरक्षित रूप से लगी होगी जिससे किसी भी दिशा में उसके संचलन का संक्षरण रोधी धातु दीवारगीर, रॉड्स, ऐकर्स, अवलम्ब, चेन्स या वायरोप्स, जो इस प्रयोजन के लिए निर्मित हो, द्वारा रोका जा सके और इस प्रकार व्यवस्थित की जा सके कि इस प्रकार लगाये जाने की आधी युक्तियां परिस्थितिवश विज्ञापन पट्टिका को थाम सकें। स्टैपल्स या कीलों का प्रयोग किसी भवन के किसी प्रक्षेपण विज्ञापन पट्टिका को कसने के लिए नहीं किया जायेगा।

च-4 अतिरिक्त भार ऐसे प्रक्षेपण संबंधी संरचनायें जो किसी सीढ़ी पर या अन्य सेवाई युक्त में, चाहे वह सेवाई युक्त के लिए विशेष रूप से बनाई गयी है या न हो, किसी व्यक्ति को थामने के लिए प्रयोग में लायी जा सकती हो, पूर्वानुमानित अतिरिक्त भार को थामने के लिए सक्षम होगी किन्तु किसी भी दशा में

कल्पित रूप से भार डालने के बिन्दु पर या अत्यधिक उल्केन्द्रीय भार डालने के बिन्दु पर डाला गया केन्द्रित क्षैतिज भार 500 किलोग्राम से और ऊर्ध्वधर केन्द्रित भार 1500 किलोग्राम से कम के लिए सक्षम नहीं होगी। भवन संघटक, जिससे प्रक्षेपण विज्ञापन पट्टिका लगाई जाय, इस प्रकार निर्मित होगा कि वह अतिरिक्त भार को थाम सके।

छ-शामियाना विज्ञापन पट्टिका-

छ-1 सामग्री-

शामियाना विज्ञापन पट्टिकाएं पूर्णरूप से धातु या अन्य अनुमोदित अज्वलनशील पदार्थों से निर्मित होंगी।

छ-2 ऊंचाई-

ऐसे विज्ञापन पट्टिकायें 02 मीटर से ऊंची नहीं होंगी और न तो वे शामियाना की पट्टी से नीचे और न पगडंडी के ऊपर 2.5 मीटर से नीचे होंगी।

छ-3 लम्बाई-

शामियाना विज्ञापन पट्टिकाएं पूरी लम्बाई से अधिक हो सकती है किन्तु वे किसी भी दशा में शामियाना के छोर से बाहर प्रक्षिप्त नहीं होंगी।

ज-आकाश विज्ञापन पट्टिका-

आकाश विज्ञापन पट्टिकाओं के मामले में ऐसी आकाश विज्ञापन पट्टिका की ऊंचाई 30 मीटर से अधिक नहीं होगी। न्यूनतम ऊंचाई ऐसी होनी चाहिए कि उससे वाहन या पैदल संबंधी आवागमन में अवरोध या बाधा उत्पन्न न हो।

झ-अस्थायी विज्ञापन पट्टिका-

झ-अस्थायी विज्ञापन पट्टिकाएं-

सचल सर्कस विज्ञापन पट्टिकाएं, मेला विज्ञापन पट्टिकाएं एवं सार्वजनिक समारोहों के दौरान सजावट।

झ-1 प्रकार झ-2 के अनुसार यथा परिनिर्मित अस्थायी विज्ञापन पट्टिकाओं से भिन्न निम्नलिखित विज्ञापन पट्टिकाओं में से कोई विज्ञापन पट्टिका परिनिर्मित नहीं की जायेगी।

(क) कोई ऐसी विज्ञापन पट्टिका जो बरांदा के स्तम्भों पर या उनके बीच पेंट की या लगायी गयी हो।

(ख) कोई ऐसी विज्ञापन पट्टिका जो किसी बरामदा या बालकनी की किसी पट्टी बेयरर, बीम या आलम्ब के ऊपर या नीचे प्रक्षिप्त हो।

(ग) कोई ऐसी विज्ञापन पट्टिका जो प्रदीप्त या प्रकाशमान हो और जो किसी बरांदा या बालकनी के किसी ढाल या गोल किनारे के पट्टी, बेयरर, बीम या आलम्ब पर लगायी गयी हो।

(घ) किसी सड़क के आर-पार परिनिर्मित कोई पताका विज्ञापन पट्टिका।

(ङ) विज्ञापन पट्टिका का एक दिशा से दूसरी दिशा में लटकने से रोकने के लिए कोई ऐसी विज्ञापन पट्टिका जो सुरक्षित रूप से न लगी हो।

(च) कपड़े, पेपर मैच या समान या सदृश सामग्री से निर्मित कोई विज्ञापन पट्टिका किन्तु उनके अन्तर्गत होर्डिंग या घरों के लाइसेंस प्राप्त पेपर विज्ञापन पट्टिकाएं नहीं हैं।

(छ) अनन्य रूप से आवासीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किये गये या प्रयोग किये जाने के लिए आशायित किसी भूखण्ड पर कोई विज्ञापन पट्टिकाएं जो किसी ब्रास प्लेट या बोर्ड से भिन्न हो और अधिमानतः 600 मिलीमीटर से अधिक न हो व किसी आवास की दीवार या प्रवेश द्वार या दरवाजे या गेट पर लगी हो और प्लैट के किसी ब्लाक के मामले में प्रवेश हाल की दीवार या किसी प्लैट के किसी प्रवेश द्वार पर लगी हो, और

(ज) पेड़ों, चट्टानों या पहाड़ियों या तत्समान प्राकृतिक स्थलों पर कोई विज्ञापन पट्टिका।

झ-2 अस्थाई विज्ञापन पट्टिकाओं की आवश्यकता-

(एक) सभी अस्थायी विज्ञापन, सचल सर्कस और मेला चिन्ह और पट्टिकायें, सार्वजनिक समारोहों के दौरान सजावट नगर आयुक्त के अनुमोदन के अनुसार होंगे और इस प्रकार परिनिर्मित होंगे कि उससे किसी रास्ते में अवरोध न पहुंचे और आग के जोखिम को कम करने में बाधा न पहुंचे।

(दो) ऐसी किसी विज्ञापन पट्टिका पर अंकित विज्ञापन केवल कारोबार, उद्योग या किसी ऐसे अन्य व्यवसाय से संबंधित होगा जो उस परिसर पर या उसके भीतर किया जा रहा हो जिस पर विज्ञापन पट्टिका परिनिर्मित या लगायी गयी हो। अस्थायी विज्ञापन पट्टिका को जैसे ही वह फट जाय या क्षतिग्रस्त हो जाय, यथाशीघ्र और किसी भी दशा में, परिनिर्माण के पश्चात्, जब तक विस्तारित न किया जाय, 14 दिन के भीतर हटा दिया जायेगा।

(तीन) नगर आयुक्त किसी अस्थायी विज्ञापन पट्टिका या सजावट को तत्काल हटाने का आदेश, यदि उसकी राय में ऐसी कार्यवाही सार्वजनिक सुविधा और सुरक्षा के हित में आवश्यक हों, देने के लिए सशक्त होगा।

(चार) पोल विज्ञापन पट्टिका-पोल विज्ञापन पट्टिकाएं पूर्णतः अज्वलनशील पदार्थ से निर्मित होंगी और यथास्थिति, भूमि या छत की आवश्यकताओं के अनुरूप होंगी, ऐसी विज्ञापन पट्टिकायें स्ट्रीट लाइन के बाहर तक बढ़ाई जा सकती हैं। यदि वे प्रक्षेपण विज्ञापन पट्टिकाओं के उपबन्धों के अनुकूल हों।

(पांच) झण्डी या कपड़े की विज्ञापन पट्टिकायें-किसी भवन से संलग्न या उससे लटकने वाली अस्थायी विज्ञापन पट्टिकायें और झण्डियां जो कपड़े या ज्वलनशील पदार्थ से निर्मित हों, सुदृढ़ रूप से बनी होंगी और अपने अवलंब से सुरक्षित रूप से लगी होंगी। जैसे ही वे फट जायें या क्षतिग्रस्त हो जायें, उन्हें यथाशीघ्र और परिनिर्माण के अधिकतम 14 दिन के पूर्व ही हटा लिया जायेगा, सिवाय उस दशा के जब वे किसी सायबाल या शामियाना से लटकाये जाने के लिये अस्थाई विज्ञापन पट्टिकाओं को अनुमति प्राप्त हो, 10 दिन की अवधि तक लटकाये जाने के लिये अनुमति प्राप्त हो।

(छः) अधिकतम आकार-अस्थाई विज्ञापन पट्टिकायें क्षेत्रफल में 10 वर्ग मीटर से अधिक नहीं होंगी।

(सात) प्रक्षेपण कपड़े की अस्थाई विज्ञापन पट्टिकायें और ज्वलनशील निर्माण किसी मार्ग या सार्वजनिक स्थान के ऊपर या उसके अन्दर 300 मिलीमीटर से अधिक नहीं बढ़ेगी सिवाय उस दशा के जब ऐसी चिन्ह पट्टिकायें बिना फ्रेम के निर्मित होने पर किसी सायबान या शामियाना के सामने अवलम्ब के रूप में लगाई जा सकती है या उसकी निचली पट्टी से लटकाई जा सकती है किन्तु वे फुटपाथ के 2.5 मीटर से अधिक निकट तक नहीं बढ़ी होनी चाहिये।

(आठ) विशेष अनुमति-भवन से लटकती हुई या पोल पर लटकती हुये सभी ऐसी अस्थाई झण्डियां जो मार्ग या सार्वजनिक स्थलों के आर-पार बढ़े, नगर आयुक्त के अनुमोदन के अधीन होंगी।

(नौ) नगर निगम द्वारा स्थापित किये गये बिल फलक को अस्थाई इशतहारों, विज्ञापन पट्टिकाओं, प्रतीकों, मनोरंजन आदि के लिये प्रयोग में लाया जायेगा जिससे कि नगर की दीवारों विरूपित न हों।

टिप्पणी-मनोरंजन और अन्य कार्यक्रमों से सम्बन्धित इशतहार को इशतहार फलक से भिन्न भवन पर नहीं लगाया जायेगा। ऐसे इशतहार और पोस्टरों के लिये उत्तरदायी संगठन ऐसे विरूपण और विज्ञापन पट्टिकाओं को न हटाने के लिये उत्तरदायी माने जायेंगे।

सभी विज्ञापन पट्टिकाओं के लिये सामान्य आवश्यकतायें-

16-(1) **भार-विज्ञापन पट्टिकायें** इस प्रकार निर्मित होंगी कि वे भाग-6 संरचनात्मक अभिकल्प खण्ड-1, राष्ट्रीय भवन संहिता, 2005 के भार, बल और प्रभाव में दिये गये आँधी डेड से इस्मिक और अन्य लोड को सुरक्षित रूप से सहन कर सकें।

(2) **प्रदीप्त-कोई भी विज्ञापन पट्टिका** जो विद्युत साधन और विद्युत युक्तियां या वायरिंग से भिन्न हों, राष्ट्रीय भवन संहिता, 2005 में भाग-8, भवन सेवायें खण्ड-2, विद्युत और सम्बद्ध संस्थापना की अपेक्षाओं के अनुसार संस्थापित या प्रकाशित नहीं की जायेंगी। किसी भी दशा में कोई खुली चिंगारी या दीप्ति प्रदर्शन के उद्देश्यों के लिये तब तक नहीं इस्तेमाल की जायेंगी, जब तक वह नगर आयुक्त द्वारा विशेष रूप से अनुमोदित न हो।

(3) **विज्ञापन पट्टिकाओं की डिजाइन और स्थान-**[क] किसी भी विज्ञापन पट्टिकाओं से पदयात्रियों के आवागमन, अग्नि से बचाव, निकास या अग्नि शमन प्रयोजनों के साधन के रूप में प्रयुक्त दरवाजे या खिड़की या द्वार में रुकावट नहीं आयेगी।

[ख] किसी भी पट्टिका से प्रकाश व संवातन के द्वार में किसी प्रकार या ढंग से रुकावट नहीं होगी।

[ग] यदि सम्भव हो, विज्ञापन पट्टिकाओं को एक साथ सम्मिलित रूप में एकल की जानी चाहिये। भू-दृश्य में अव्यवस्थित विज्ञापन पट्टिका से बचना चाहिये।

[घ] अनावश्यक खंभों को कम करने और विज्ञापन पट्टिकाओं को प्रकाशित करने को सुगम बनाने के लिये पट्टिकायें लाइटिंग फिक्स्चर से युक्त होनी चाहिये।

[ङ] सूचना विज्ञापन पट्टिकायें स्वाभाविक सभा स्थलों पर लगायी जानी चाहिये और उन्हें दर्शनीय फर्नीचर के अभिकल्प में सम्मिलित किया जाना चाहिये।

[च] जहां विज्ञापन पट्टिकाओं से पैदल आवागमन में बाधा पहुँचे वहां विज्ञापन पट्टिकाओं को लगाये जाने से बचना चाहिये।

[छ] विज्ञापन पट्टिकायें इस प्रकार लगानी चाहिये जिससे कि सामने से और पीछे से पदयात्रियों का आवागमन सम्भव हो सके।

[ज] जहाँ तक सम्भव हो दृष्टिहीन और आंशिक रूप से दृष्टिहीनों के लिये पठनीय बनाने के लिये विज्ञापन पट्टिका के किनारे बेल पट्टियाँ लगायी जानी चाहिये या उभरे हुये अक्षरों का प्रयोग किया जाना चाहिये।

[झ] कोई भी विज्ञापन पट्टिका किसी भी वृक्ष या झण्डी में नहीं लगायी जानी चाहिये।

(4) **दहनशील पदार्थों का प्रयोग**—[एक] सजावटी विशिष्टता-ढलाई, ढक्कन लगाने, ब्लाक्स, अक्षरों व जाली के लिये जहाँ अनुमति हो और पूर्णतः सजावटी विशिष्टता वाले विज्ञापन पट्टिकाओं के लिये प्रयोग किये जा सकने वाले लकड़ी के सदृश दहनशील विशेषता वाले लकड़ी या प्लास्टिक या अन्य पदार्थ।

[दो] विज्ञापन पट्टिका का फलक-विज्ञापन पट्टिका का अग्रभाग अनुमोदित दहनशील पदार्थ से बना होना चाहिये, परन्तु प्रत्येक अग्रभाग का क्षेत्रफल 10 वर्गमीटर से अधिक नहीं होना चाहिये और विद्युत लाइटिंग की वायरिंग धातु की नली में बन्द होनी चाहिये और फलक से 5 सेंटीमीटर से अन्यून के निकास के साथ संस्थापित होनी चाहिये।

(5) **विज्ञापन पट्टिकाओं को हटायें जाने से नुकसान या विरूपण**—जब भी कोई विज्ञापन पट्टिका हटाई जाय चाहे यह कार्य नगर आयुक्त की नोटिस या उसके आदेश के कारण हो, अन्यथा हो, ऐसे भवन या स्थल जिस पर या जिससे ऐसा विज्ञापन पट्टिका प्रदर्शित की गयी थी, में किसी नुकसान या विरूपण की क्षतिपूर्ति नगर आयुक्त के संतोषप्रद रूप से की जायेगी। यदि विज्ञापन पट्टिका के हटायें जाने के दौरान सड़क की सतह/फुटपाथ/यातायात सिग्नल या किसी अन्य सार्वजनिक उपयोगिता सेवा की क्षति पहुँचती है तो विज्ञापनकर्ता से वसूल की गयी धनराशि को निगम द्वारा सम्बन्धित विभाग को अन्तरित कर देनी चाहिये अथवा तत्काल मरम्मत करा देना चाहिये।

(6) **अनुज्ञा-पत्र के ब्यौरे का प्रदर्शन**—अनुज्ञा-पत्र का ब्यौरा और अनुज्ञा की समाप्ति का दिनांक प्रत्येक विज्ञापन पट्टिका पर इस प्रकार लगाया जायेगा कि उसे नग्न नेत्रों से देखा व पढ़ा जा सके।

17-दुकानों पर विज्ञापन—

किसी दुकान पर कोई भी विज्ञापन नगर आयुक्त की पूर्व अनुमति के बगैर और कर के पूर्व भुगतान के बिना दफती लटकाकर, स्टीकर चस्पा करके, पेंटिंग, लेखन द्वारा फ्लेक्स या ग्लोसाइन बोर्ड द्वारा या किसी अन्य विधि से संप्रदर्शन द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जायेगा।

स्पष्टीकरण—

(एक) यदि सामग्री बेचे जाने वाली दुकानों के नाम, फलक लटकाकर, पेंटिंग द्वारा या किसी भी अन्य विधि से संप्रदर्शित या प्रदर्शित किये जायें तो उन्हें विज्ञापन नहीं माना जायेगा और वे इस उपविधि के अधीन कराधेय नहीं होगा।

(दो) परन्तु यदि कोई विज्ञापन लटकाकर, चिपकाकर अथवा किसी अन्य रीति से इस प्रकार संप्रदर्शित किया जाये कि उसमें विक्रय की जाने वाली वस्तुओं का उल्लेख हो और गुण आदि का विवरण हो तथा वह सामान्य जनता का ध्यान विज्ञापन के रूप से आकर्षित कर रहा हो तो वह इस उपविधि के अधीन कराधेय होगी।

18-मार्गाधिकार (राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग छोड़कर) के भीतर अनुज्ञा प्राप्त विज्ञापन—

सम्बन्धित मार्ग की क्षमता, क्षेत्र के सम्पूर्ण सौन्दर्यबोध और सार्वजनिक सुरक्षा पर निर्भर करते हुये निम्नलिखित विज्ञापन को मार्गाधिकार के भीतर, राष्ट्रीय राज्यमार्ग/राष्ट्रीय राज्यमार्ग प्राधिकरण को छोड़कर, अनुज्ञा प्रदान की जायेगी :-

(1) मार्ग प्रकाश के खम्भों पर विज्ञापन—

[एक] अभिकल्प-विज्ञापन फलक का आकार चौड़ाई 0.79 मीटर × 1.2 मीटर से अधिक नहीं रखी जायेगी और विज्ञापन के निचले तल की ऊँचाई 2.5 मीटर से कम नहीं रखी जायेगी। किसी भी दशा में विज्ञापन फलक वाहन मार्ग में प्रक्षिप्त नहीं होगा।

(2) बस सायबानों पर विज्ञापन—

अभिकल्प-बस सायबानों के विज्ञापन फलक पर क्षेत्र व मार्ग नम्बर को देखने के लिये 1.5 मीटर फलक की लम्बाई को छोड़ते हुये विज्ञापन की अनुज्ञा प्रदान की जायेगी। बस सायबानों पर विज्ञापन पट्ट की लम्बाई सायबान की कुल लम्बाई से अधिक न होगी तथा अधिकतम ऊँचाई 0.90 मीटर रखी जायेगी। प्रत्येक बस सायबान निगम द्वारा उपलब्ध करायी गयी डिजाइन के अनुसार ही निर्मित कराया जायेगा तथा उस पर नगरीय परिवहन विभाग द्वारा अनुमोदित किराया सूची, सिटी बसों का रूट नम्बर एवं उसके निर्धारित मार्ग का विवरण अंकित करना अनिवार्य होगा। सम्बन्धित विज्ञापनकर्ताओं जिसे बस सायबान पर विज्ञापन प्रदर्शन की अनुज्ञा प्रदान की गई हो, उसे बस सायबान का अनुरक्षण स्वयं के व्यय पर समय-समय पर कराना अनिवार्य होगा।

(3) स्थानों की पहचान के लिये महत्वपूर्ण जंक्शनों पर विज्ञापन-नियम-13 में विहित यातायात सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुये विभिन्न स्थानों के पहचान को सुगम बनाने के लिये नगर आयुक्त द्वारा महत्वपूर्ण मार्ग जंक्शनों पर 2 मीटर × 0.35 मीटर आकार की पट्टी से युक्त मानक रूप में फलक लगाये जा सकते हैं। विज्ञापनकर्ता को नगर आयुक्त के अनुमोदन के अनुसार फलक की पट्टियों पर संस्तुत रंग व आकार में नामों, दूरी व दिशा आदि पेन्ट करने की अनुज्ञा होगी।

(4) यातायात रोटरी/सड़क—नगर आयुक्त यातायात विभाग (राजपत्रित अधिकारी/यातायात प्रभारी) के परामर्श से आवंटन समिति की संस्तुति पर यातायात रोटरी/सड़क/यातायात बूथों के विकास व रख-रखाव की अनुज्ञा दे सकते हैं। यातायात रोटरी/आईलैण्ड/यातायात पुलिस बूथ उसकी कुल चौड़ाई एवं ऊँचाई से अधिक का विज्ञापन प्रदर्शित नहीं किया जायेगा तथा विज्ञापन की ऊँचाई अधिकतम 0.90 मीटर रखी जायेगी। इसके लिये विज्ञापनकर्ता को उपविधि में विहित दरों पर विज्ञापन कर तथा आवंटन समिति द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्रीमियम जमा करना होगा।

(5) मैदानों/पगडंडियों के किनारे रक्षक पट्टियाँ—नगर आयुक्त अभिकरण को मैदान/पगडंडी के किनारे रक्षक पट्टियों की व्यवस्था करने एवं उनका रख-रखाव करने के साथ-साथ अभिकरण को नगर आयुक्त द्वारा यथा अनुमोदित पट्टियों पर नाम/उत्पाद का संप्रदर्शित करने की अनुज्ञा प्रदान कर सकते हैं। अभिकरण रक्षक पट्टी के अभिकल्प के लिये नगर आयुक्त का अनुमोदन प्राप्त करने और नगर आयुक्त के संतोषप्रद रूप में समय-समय पर रक्षक पट्टी/विभाजक का रख-रखाव करने और मुख्यतः पेन्ट करने के लिये आबद्धकर होगा। इस पर लगने वाले विज्ञापन पट्ट का अधिकतम आकार 0.45 मीटर × 0.75 मीटर होगा तथा सड़क से न्यूनतम ऊँचाई 2.5 मीटर होगी।

(6) वृक्ष रक्षक (ट्री गार्ड)—नगर आयुक्त किसी चयनित अभिकरण को पौधों के चारों तरफ अनुमोदित अभिकल्प के वृक्ष रक्षक की व्यवस्था एवं रख-रखाव करने के साथ-साथ अभिकरण को नगर आयुक्त द्वारा यथा अनुमोदित वृक्ष रक्षकों पर नाम/उत्पाद को संप्रदर्शित करने की अनुज्ञा दे सकते हैं परन्तु 0.60 मीटर से कम चौड़े डिवाइडरों पर ट्री गार्ड लगाये जाने की अनुमति नहीं होगी।

(7) पुष्प पात्र स्टैण्ड्स—नगर आयुक्त किसी अभिकरण को सड़क विभाजक पर अनुमोदित अभिकल्प के पुष्प पात्र स्टैण्ड की व्यवस्था एवं रख-रखाव करने की अनुज्ञा प्रदान कर सकते हैं। दो पुष्प पात्र स्टैण्डों के मध्य कम से कम 05 मीटर की दूरी होनी चाहिये। अधिकतम 0.45 मीटर × 0.75 मीटर माप के विज्ञापन पट्टी अपने दो ओर संप्रदर्शित किये जा सकते हैं, परन्तु सड़क सतह के ऊपर विज्ञापन पट्टी के निचले भाग का उर्ध्व निकास 2.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिये।

परन्तु यह कि विज्ञापन पट्टी की चौड़ाई दोनों ओर के विभाजकों की चौड़ाई से 0.25 मीटर कम होगी और पुष्प पात्र को उसके संरेखण (विभाजक के दिशा के समानान्तर) में रखा जायेगा।

19-छूट-(1) इस उपविधि की कोई बात निम्नलिखित विज्ञापनों एवं विज्ञापन पट्टी पर लागू नहीं होगी—

[एक] यदि किसी कार्यालय, दुकान या अधिष्ठान का केवल नाम किसी ऐसे विज्ञापन पट्ट पर प्रदर्शित किया जाता है जो ऐसे कार्यालय, दुकान या अधिष्ठान पर परिनिर्मित या संस्थापित किया गया हो।

[दो] यदि किसी आवासीय भवन के स्वामी का केवल नाम व पता ऐसे भवन से लगे किसी विज्ञापन पट्ट पर प्रदर्शित किया जाये।

[तीन] किसी सरकारी या अर्द्धसरकारी कार्यालय का नाम व पता ऐसे परिसरों के भीतर रखे किसी विज्ञापन पट्ट पर प्रदर्शित किया जायेगा।

[चार] यातायात विभाग द्वारा प्रदत्त सभी यातायात विज्ञापन पट्ट, सिग्नल्स, यातायात चेतावनी और संदेश, किसी न्यायालय के आदेश या निर्देशों के अधीन संप्रदर्शित सभी नोटर्स, पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता को इंगित करने वाले सभी विज्ञापन पट्ट. परन्तु उनकी माप 0.6 मीटर × 0.6 मीटर से अधिक न हो।

[पाँच] यदि विज्ञापन पट्ट किसी भवन की खिड़की के भीतर प्रदर्शित किये जायं किन्तु उसमें भवन का प्रकाश व संवातन प्रभावित न हो।

[छ:] यदि किसी ऐसी भूमि या भवन जिस पर ऐसा विज्ञापन प्रदर्शित किया जाता है, के भीतर चलाये जा रहे व्यापार या कारोबार से या ऐसी भूमि या भवन के बिक्रय या बैठक या मनोरंजन या उसके भीतर किसी अन्य कार्य से या किसी ऐसी ट्रेमकार, ओमनीबस या अन्य वाहन, जिस पर ऐसा विज्ञापन प्रदर्शित किया जाता हो, के स्वामी द्वारा चलाये जा रहे व्यापार या कारोबार से सम्बन्धित हो, परन्तु यह 1.2 वर्गमीटर से अधिक न हो।

[सात] इसके अतिरिक्त नियम 19 के उप नियम (1) से (6) के अन्तर्गत आच्छादित विज्ञापन पट्टों के लिये किसी अनुज्ञा की आवश्यकता नहीं है। फिर भी ऐसी छूट से यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि विज्ञापन पट्ट का स्वामी इस उपविधि के अनुपालन में परिनिर्माण या रख-रखाव के उत्तरदायित्व से निर्मुक्त है।

(2) दीवार विज्ञापन पट्ट-नीचे सूचीबद्ध दीवारों के लिये किसी अनुज्ञा-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी-

[एक] भण्डारण विज्ञापन पट्ट-किसी प्रदर्शन खिड़की के ऊपर किसी भण्डारण या कारोबार अधिष्ठान के दरवाजे के ऊपर परिनिर्मित या अप्रकाशित विज्ञापन पट्ट जो मालिक के नाम और उसमें संचालित कारोबार की प्रकृति को घोषित करते हों, विज्ञापन पट्ट 01 मीटर से ऊँचे और कारोबार अधिष्ठान की चौड़ाई से अधिक नहीं होनी चाहिये।

[दो] सरकारी भवन विज्ञापन पट्ट-किसी नगर पालिका, राज्य या केन्द्रीय सरकार के भवन पर परिनिर्मित ऐसे विज्ञापन पट्ट जो अध्यासन के नाम, प्रकृति या सूचना को घोषित करते हों।

[तीन] नाम पट्ट-किसी भवन या संरचना पर परिनिर्मित कोई ऐसा विज्ञापन पट्ट, जो भवन के अध्यासी के नाम को इंगित करता हो और जो क्षेत्रफल में 0.5 वर्गमीटर से अधिक न हो।

[चार] ऐसे विज्ञापन पट्ट जो किसी यात्रा मार्ग, स्टेशन या सार्वजनिक सुविधा से, के स्थानों की ओर इंगित करते हों।

(3) अस्थाई विज्ञापन पट्ट-

[एक] निर्माण स्थल संकेत-निर्माण संकेत, इंजीनियर एवं वास्तुविद के संकेत और अन्य समान संकेत जो निर्माण अभियान के सम्बन्ध में नगर आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किये जायें।

[दो] विशेष संप्रदर्शन संकेत-अवकाशों, सार्वजनिक प्रदर्शन या नागरिक कल्याण की प्रोन्नति या धर्मार्थ प्रयोजन के लिये प्रयोग किये जाने वाले विशेष सजावटी संप्रदर्शन, जिस पर कोई वाणिज्यिक विज्ञापन न हो, परन्तु यह कि नगर आयुक्त किसी परिणामिक नुकसान के लिये उत्तरदायी नहीं है। (नियम-15इ(2) अस्थाई विज्ञापन पट्ट के लिये आवश्यकता देखिये)

20-विशेष विज्ञापन-

(1) यदि अनुसूची-2 जिसके अन्तर्गत प्रतिषिद्ध क्षेत्र भी है द्वारा कोई विशेष या सार्वजनिक हित का विज्ञापन आच्छादित नहीं है तो नगर आयुक्त उसे ऐसे निर्बन्धन एवं शर्तों पर और ऐसी दर पर, जिसे वह उचित समझे, कर के भुगतान पर परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, सम्प्रदर्शित करने, लगाने, चस्पा करने, लिखने, रेखांकन करने या लटकाने की अनुज्ञा प्रदान कर सकते हैं।

(2) प्रत्येक ऐसी अनुज्ञा के दिनांक से एक माह तक के लिये विधिमान्य होगी। ऊपर उल्लिखित अवधि की समाप्ति पर अनुज्ञा को अग्रेतर एक माह के लिये बढ़ाया जा सकता है। यदि अनुज्ञा की आवश्यकता किसी अग्रेतर अवधि के लिये हो तो नगर आयुक्त के समक्ष स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना चाहिये।

21-विशेष नियंत्रण क्षेत्र-

(1) जब कभी नगर आयुक्त की राय में इस उपविधि में निर्बंधनों के अनुसार अन्यथा अनुज्ञात विज्ञापन युक्ति से नियम के अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी विशिष्ट क्षेत्र को क्षति पहुँचने या उसके निरूपित होने की संभावना हो तो वह ऐसे क्षेत्र को विशेष नियंत्रण क्षेत्र घोषित कर सकता है। पालों और भूमि को भी विशेष नियंत्रण क्षेत्र के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है।

(2) उप नियम (1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये ऐसे क्षेत्र के भीतर किसी विज्ञापन का परिनिर्माण और प्रदर्शन निषिद्ध किया जायेगा या किसी प्रकार से सीमित किया जायेगा जैसा कि नगर आयुक्त द्वारा आवश्यक समझा जाये। नगर आयुक्त निगम की अधिकारिता वाले क्षेत्र में व्यापक प्रसार वाले किसी एक या अधिक समाचार-पत्रों में, ऐसे क्षेत्र को घोषणा करने के सम्बन्ध में अपने आशय को प्रकाशित करेगा। ऐसे क्षेत्र के भीतर सम्पत्ति का कोई स्वामी, जो ऐसी घोषणा से व्यथित अनुभव करे ऐसे क्षेत्र की घोषणा के विरुद्ध ऐसे प्रकाशन से एक माह के भीतर नगर आयुक्त को अपील कर सकता है, जिसका विनिश्चय निर्णायक होगा।

(3) किसी बरामदा विज्ञापन की शब्दावली विशेष नियन्त्रण के किसी क्षेत्र में नगर आयुक्त द्वारा अनुमति हो, स्वामी या फर्म के नाम तक सीमित होगा जो उस परिसर का अध्यासी हो। भवन या संस्था या फर्म के नाम तक सीमित होगा जो उस परिसर का अध्यासी हो। भवन या संस्था के नाम चलाये जा रहे साधारण व्यवसाय या व्यापार का नाम जैसे कि ज्वैलर्स, कैफे, "डांसिंग" या भवन के प्रवेश की स्थिति के सम्बन्ध में सूचना हो सकती है या सिनेमा या नाटक कार्यक्रम के सम्बन्ध में या इसी प्रकार की कोई सूचना हो सकती है। किसी भी बरामदे के विज्ञापन में विशेष नियन्त्रण के किसी क्षेत्र में व्यापार की किसी विशिष्ट वस्तु का विज्ञापन नहीं होगा और न ही मूल्य या मूल्य में कमी से सम्बन्धित ऐसा कोई विज्ञापन होगा।

(4) विशेष नियन्त्रण के क्षेत्र से तीस मीटर दूरी के भीतर, उप नियम (3) में दिये गये के सिवाय सामान्यतः कोई अन्य विज्ञापन पट्ट नहीं होगा।

22-निषिद्ध क्षेत्र की घोषणा-

निगम या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार किसी क्षेत्र या किन्हीं क्षेत्रों को विज्ञापन या विज्ञापन पट्टों का परिनिर्माण, प्रदर्शन, संप्रदर्शन लगाना, विपकाना लेखन, आरेक्षण या लटकाने के लिये निषिद्ध घोषित करेगा।

23-झण्डियों पर रोक-

(1) कोई भी व्यक्ति नगर आयुक्त से पूर्व में प्राप्त लिखित अनुज्ञा के बिना किसी झण्डी/बैनरों का प्रदर्शन, सम्प्रदर्शन या लटकाने का कार्य नहीं करेगा।

(2) कोई भी अनुज्ञा नियम का राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा निषिद्ध क्षेत्र के रूप में निर्धारित क्षेत्र में इस उपविधि के अधीन प्रदान नहीं की जायेगी।

(3) इस उपविधि के उपबंधों का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसी शास्ति का दायी होगा, जो नगर आयुक्त द्वारा अधिरोपित की जाये और वह प्रति झण्डी/बैनर दो सौ रुपये से कम नहीं होगी।

(4) नगर आयुक्त इस नियम में निर्दिष्ट झण्डी/बैनर को हटा सकता है और से समयहृत या विनष्ट कर सकता है।

24-अनुरक्षण और निरीक्षण-

(1) अनुरक्षण-सभी विज्ञापन जिनके लिये अनुज्ञा अपेक्षित है अवलम्बों, बंधनी, रस्सा और स्थिरक के साथ भली प्रकार मरम्मत किये जायेंगे जो कि ढांचागत और कलात्मक दोनों ही दुष्टिकोण से होगी और जब चमकीले या अनुमोदित अज्वलनशील सामग्री से निर्मित नहीं होंगे तो उन पर मोर्चा लगने से रोकने के लिये रंग-रोगन समय-समय पर किया जायेगा।

(2) सुव्यवस्था-प्रत्येक विज्ञापन के स्वामी का यह कर्तव्य और उत्तरदायित्व होगा कि वह विज्ञापन द्वारा छेके गये परिसर में सफाई, स्वच्छता और स्वास्थ्य सम्बन्धी परिस्थितियों का ध्यान रखे।

(3) निरीक्षण-प्रत्येक विज्ञापन, जिसके लिये परमिट जारी किया गया हो और प्रत्येक विद्यमान विज्ञापन जिसके लिये कोई परमिट अपेक्षित हो, का निरीक्षण प्रत्येक पंचांग वर्ष में कम से कम एक बार किया जायेगा।

25-प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति-

नगर आयुक्त या इस निमित्त उसके द्वारा अधिकृत कोई निगम अधिकारी या सेवक कोई निरीक्षण, खोज, पर्यवेक्षण, भाप या जांच करने के प्रयोजन के लिये या ऐसा कार्य निष्पादित करने के लिये जो इस उपविधि द्वारा या तद्धीन प्राधिकृत के या जो किसी प्रयोजन के लिये आवश्यक हो या इस उपविधि के किसी उपबंध के अनुसरण में सहायकों या श्रमिकों के साथ या उनके बिना किसी परिसर में या उस पर प्रवेश कर सकता है, परन्तु-

(एक) सूर्योदय और सूर्यास्त के मध्य के सिवाय और अध्यासी को युक्तियुक्त नोटिस दिये बिना या यदि भूमि या भवनों के स्वामी हेतु कोई अध्यासी न हो तो इस प्रकार प्रवेश नहीं की जायेगी।

(दो) प्रत्येक स्थिति में ऐसी भूमि या भवन से महिला, यदि कोई हो, को हट सकने के लिये पर्याप्त अवसर दिया जायेगा।

(तीन) जहां तक ऐसे प्रयोजन की अत्यावश्यकताओं के अनुरूप हो, जिसके लिये प्रवेश किया गया है। प्रविष्ट की गयी भूमि या भवन के अध्यासियों के सामाजिक और धार्मिक उपयोगिताओं की ओर सम्यक् ध्यान दिया जायेगा।

26-कर भुगतान की रीति-

(1) अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट वार्षिक कर एकल किस्त में अथवा दो समान किस्तों में संदेय होगा। बिना देय धनराशि जमा किये एवं बिना अनुज्ञा प्राप्त किये कोई विज्ञापन पट्ट या विज्ञापन परिनिर्मित/संप्रदर्शित नहीं किया जायेगा। प्रथम किस्त वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने अथवा स्वीकृति के समय जो पूर्वतर हो, तथा दूसरी किस्त 30 सितम्बर के पूर्व देय होगी।

(2) यदि कोई विज्ञापन छः माह से कम अवधि हेतु प्रदर्शित किया जाता है तो विज्ञापन कर अनुसूची-2 में अंकित दरों की 50 प्रतिशत धनराशि के बराबर देय होगा।

(3) किसी विशेष प्रयोजन हेतु यदि किसी विज्ञापन को तीन माह अथवा उससे कम अवधि हेतु प्रदर्शित करता है तो कर की दर अनुसूची-2 में अंकित दरों पर मासिक आधार पर एक किस्त में देय होगी।

27-क्षेत्रों का वर्गीकरण-

विज्ञापनों पर कर के प्रयोजनार्थ प्रतिषिद्ध क्षेत्र व अन्य क्षेत्रों के वर्गीकरण का विनिश्चय नगर आयुक्त द्वारा निम्नलिखित वर्गों में किया जायेगा-

(एक) निषिद्ध श्रेणी क्षेत्र

(दो) प्रवर श्रेणी क्षेत्र

(तीन) "अ" श्रेणी क्षेत्र

(चार) "ब" श्रेणी क्षेत्र

(पाँच) "स" श्रेणी क्षेत्र

(छः) "द" श्रेणी क्षेत्र

[एक] सर्वोच्चत वर्ग-1-गरे कम्पनी ब्रिज से परेड चौराहे तक, 2-मेघदूत तिराहे से स्टॉक एक्सचेंज क्रॉसिंग तक, 3-आदर्श व्यायामशाला से कचहरी होते हुये लाल इमली क्रॉसिंग तक, 4-उपरोक्त क्षेत्र के आन्तरिक मार्गों पर।

[दो] 'अ' वर्ग-1-परेड क्रॉसिंग के बाद से चुन्नीगंज होते हुये बकरमण्डी ढाल तक (लाल इमली चौराहे के आस-पास छोड़कर), 2-स्टॉक एक्सचेंज क्रॉसिंग के बाद से वी०आई०पी० रोड होते हुये रावतपुर तिराहे तक, 3-घन्टाघर चौराहे से हालसी रोड होते हुये परेड चौराहे के पहले तक, 4-बिरहाना रोड, मेस्टन रोड तथा लाटूश रोड।

[तीन] 'ब' वर्ग-1-बकरमण्डी चौराहे से मेडिकल कालेज चौराहा होते हुये रावतपुर तक, 2-तिलकनगर, स्वरूप नगर व आर्यनगर क्षेत्र, 3-घन्टाघर चौराहे से किदवईनगर बाईपास तक, 4-किदवईनगर से बारादेवी रोड गोविन्दनगर, चावला मार्केट क्रॉसिंग तक, 5-जरीब चौकी से विजयनगर क्रॉसिंग तक कालपी रोड, 6-विजयनगर से डबल पुलिया होते हुये रावतपुर क्रॉसिंग तक, 7-आई हास्पिटल सर्वोदयनगर से गोविन्दपुरी पुल होते हुये बरा बाईपास क्रॉसिंग तक, 8-विजयनगर से सी०टी०आई० नहर तक, 9-सी०टी०आई० से चावला मार्केट तथा सम्पूर्ण गोविन्दनगर क्षेत्र, 10-गंगापुल जाजमऊ से रामादेवी होते हुये जी०टी० रोड टाटमिल क्रॉसिंग होते हुये मेडिकल कालेज चौराहे तक, 11-लाल बंगला सम्पूर्ण क्षेत्र तथा जाजमऊ सम्पूर्ण क्षेत्र, 12-बजरिया, पी० रोड व 80 फिट रोड से कबाड़ी मार्केट तक।

[चार] 'स' वर्ग-1-घन्टाघर से डिप्टी पड़ाव होते हुये जरीब चौकी क्रॉसिंग तक, 2-डिप्टी पड़ाव चौराहे से अफ्रीम कोठी हमीरपुर रोड होते हुये नौबस्ता क्रॉसिंग, 3-विजयनगर क्रॉसिंग से पनकी पाईपास तक, 4-रावतपुर चौराहे से जी०टी० रोड के माध्यम से गुरुदेव टॉकीज क्रॉसिंग तक, 5-हर्षनगर पेट्रोल पम्प से कोका कोला क्रॉसिंग होते हुये विजयनगर तिराहे तक।

[पाँच] 'द' वर्ग-ऐसे क्षेत्र जो ऊपर उल्लिखित नहीं हैं (प्रतिबन्धित क्षेत्रों को छोड़कर)

28-हटाये जाने की लागत-

नियम-12 के उपनियम-(1) में निर्दिष्ट किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट को हटाने या साफ किये जाने की लागत निम्नवत् होगी-

(क) 6.1 मी० x 3.05 मी० या उससे कम किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट को हटाने की लागत	₹ 5,000.00
(ख) ऊपर खण्ड (क) में निर्दिष्ट विज्ञापनों या विज्ञापन पट्टों से भिन्न किसी विज्ञापन एवं विज्ञापन पट्ट को हटाने की लागत	₹ 8,000.00
(ग) किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट को साफ करने की लागत	₹ 2,000.00

(घ) निजी भवन पर (छत के ऊपर) किसी विज्ञापन को हटाने की लागत रु0 10,000.00

29-अपराधों के लिये दण्ड और उनका प्रशमन-

(1) इस उपविधि के उपबन्धों का किसी प्रकार का उल्लंघन ऐसे जुर्माने से जो पाँच हजार रुपये तक हो सकता है और उल्लंघन करते रहने की दशा में, प्रथम उल्लंघन की दोषसिद्धि के पश्चात्, प्रत्येक ऐसे दिन के लिये, जिस दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहा, ऐसे जुर्माने से, जो पाँच सौ रुपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा।

(2) उप नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, इस उपविधि के अधीन दण्डनीय किसी अपराध को अपराध के लिये निर्धारित धनराशि के आधे से अन्यून और तीन चौथाई से अनधिक धनराशि वसूल करने पर नगर आयुक्त या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा प्रशमित किया जा सकता है।

(3) यदि विज्ञापन एजेंसियों द्वारा बार-बार उपविधि में दी गयी व्यवस्था के विपरीत कार्य किया जाता है तो उसका पंजीकरण निरस्त करते हुये उसे काली सूची में डाल दिया जायेगा तथा जमा धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

आवश्यकता पड़ने पर उपविधि में संशोधन-उपविधि में अन्य बातों के होते हुये भी यदि भविष्य में किसी नियम अथवा उसके किसी अंश में अथवा विज्ञापन कर की दरों में संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होती है तो कार्यकारिणी समिति/नगर निगम सदन उक्त उपविधि में संशोधन करने के लिये अधिकृत होगी/होगा।

मूल्य रु0 500.00

अनुसूची - 1

(नियम 6[1] देखें)

विज्ञापन चिन्ह स्थापित करने की अनुमति हेतु आवेदन-पत्र

- 1-आवेदक/विज्ञापनकर्ता का नाम.....
- 2-अभिकरण, प्रतिष्ठान, कम्पनी या संस्था का नाम.....
- 3-पता.....
- 4-आवेदित विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट का प्रकार.....
- 5-विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट का आकार (लम्बाई ग चौड़ाई मी0 में).....
- 6-स्थल नक्शा सहित स्थल की अवस्थिति.....
- 7-भूमि, भवन या स्थान के स्वामी या अध्यासी का नाम.....
- 8- क्या यह सार्वजनिक स्थल है या व्यक्तिगत भूमि या भवन है ?.....
- 9-(एक) यदि व्यक्तिगत स्थल या भवन है तो स्वामित्व प्रमाण-पत्र के साथ भू/भवन स्वामी की लिखित अनुमति संलग्न की जाय।

(दो) भू/भवन स्वामी द्वारा इस आशय का वचन पत्र, कि विज्ञापनकर्ता की चूक की दशा में यह देय कर के भुगतान का दायी होगा, संलग्न करें।

(तीन) नगर आयुक्त द्वारा अनुमोदित संरचना अभियन्ता द्वारा दिया गया भवन के भार वहन क्षमता सम्बन्धी रिपोर्ट।

10-(एक) अनुसूची-2 के अनुसार वार्षिक कर.....

(दो) किश्त की धनराशि.....

11-देय प्रीमियम/नवीनीकरण शुल्क.....

12-कोई अन्य विवरण.....

संलग्नक :

दिनांक :

आवेदक के हस्ताक्षर

दूरभाष नं0

मोबाइल नं0

विज्ञापन एजेन्सी दाता की घोषणा

मैं, शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दिये गये सारे विवरण सही हैं, मैं, नगर निगम कानपुर (समाचार-पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों से भिन्न विज्ञापन पर कर का निर्धारण, प्रतिषेध, विनियमन व वसूली) उपविधि, 2016 से भली भाँति अवगत हूँ। निगम स्वामित्व के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर विज्ञापन पट्टे लगाये जाने हेतु मेरे द्वारा सम्बन्धित से अनुमति प्राप्त कर ली है। मेरे द्वारा विज्ञापन पट्टे स्थल पर इस प्रकार लगाये जायेंगे कि किसी प्रकार से यातायात में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। यदि मेरे द्वारा स्थापित विज्ञापन पट्टे से किसी प्रकार की दुर्घटना होती है, तो उसकी समस्त जिम्मेदारी मेरी होगी। मेरे द्वारा दी गयी कोई सूचना असत्य पायी जाती है या उपविधि का उल्लंघन किया जाता है तो नगर निगम को यह अधिकार होगा कि वह मुझे विज्ञापन की अनुमति न दे अथवा निरस्त कर दे या नियमानुसार कार्यवाही करें। मैं, शासन द्वारा जारी विज्ञापन कर/शुल्क के सम्बन्धित नवीनतम अधिनियम/शासनादेश तथा निगम निर्देशों का अनुपालन करने हेतु बाध्य रहूँगा।

घोषणाकर्ता का नाम.....

हस्ताक्षर.....

(निजी भूमि व भवन पर विज्ञापन पट्टे लगाये जाने की दशा में)

भूमि/भवन स्वामी की घोषणा

मैं, शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मेरी निजी भूमि व भवन पर लगे विज्ञापन पट्टे के सम्बन्ध में किसी व्यक्तिक्रम की स्थिति में वह विज्ञापनकर्ता हेतु देय कर का भुगतान करने के लिए दायी होगा। मेरे द्वारा सम्बन्धित विज्ञापन एजेन्सी को विज्ञापन पट्टे लगाने की लिखित अनुज्ञा स्वेच्छा से दी गयी है तथा नगर निगम सम्पत्ति कर उपविधि के अन्तर्गत निर्धारित देय सामान्य कर के भुगतान का दायी हूँगा। यदि मेरे भूमि/भवन पर स्थापित विज्ञापन पट्टे से किसी प्रकार की दुर्घटना होती है, तो उसकी समस्त जिम्मेदारी मेरी होगी। नगर आयुक्त अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को विज्ञापन पट्टे हटाने हेतु परिसर में प्रवेश का अधिकार होगा।

घोषणाकर्ता का नाम.....

हस्ताक्षर.....


कानपुर नगर निगम

विज्ञापन एजेन्सियों का पंजियन/नवीनीकरण हेतु आवेदन

अनुसूची-3

(नियम 5 देखें)

विज्ञापनकर्ताओं का पंजीकरण एवं नवीनीकरण



1-आवेदक का नाम :-

2-विज्ञापन एजेन्सी/फर्म का नाम :-

3-आवेदित श्रेणी.....

4-आवेदक का स्थायी पता :-

5-फर्म का पता :-

6-मोबाईल/टेलीफोन नं०

7-फर्म का प्रकार (साझेदारी/एकल फर्म) :-

8-अधिकृत हस्ताक्षरी का नाम

9-आयकर पैन नम्बर

10-सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नं०

11-फर्म के बैंक का नाम

12-बैंक खाता संख्या :-

13-विगत वर्ष के बकाया की स्थिति

14-पंजीकरण/नवीनीकरण शुल्क का विवरण.....(नकद/डिमांड ड्राफ्ट)

15-निर्धारित धरोहर धनराशि एन0एस0सी0/राष्ट्रीयकृत बैंकों की सावधि जमा रसीद (एफ0डी0आर0) के रूप में जमा करना होगा। जो मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, कानपुर नगर निगम के नाम बन्धक होगी एवं जो रिफन्डेबुल होगी का विवरण.....

मैं/हम घोषित करता/करते हैं/हूँ कि हमारा कोई निगम का सम्बन्धी नगर निगम कानपुर में किसी पद पर कार्यरत नहीं है। कार्य करने की दशा में उनका नाम मय पद तथा विभाग सहित नीचे दे रहा हूँ/हैं। निकट सम्बन्धी से तात्पर्य (परिवार की परिभाषा के अन्तर्गत है) तथा शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त दी गयी समस्त सूचना पूर्ण रूप से सत्य है। कोई सूचना छुपाई नहीं गयी है। असत्य पाये जाने पर मेरा रजिस्ट्रेशन निरस्त करने हेतु विभाग स्वतन्त्र होगा। मुझे निविदा एवं कार्य उपविधि का पूर्ण ज्ञान है एवं मैं उपविधि एवं निविदा शर्तों के अनुसार कार्य करूँगा।

अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि मेरा श्रेणी.....में पंजीकृत/नवीनीकरण करने का कष्ट करें।

(आवेदक के हस्ताक्षर/मोहर)

नाम :-

पता :-

कार्यरत दूरभाष संख्या :-

- शर्तें- (1) पंजीकृत विज्ञापन एजेन्सियाँ अपने से एक श्रेणी निम्न में निविदा/आफर में भाग ले सकेंगी परन्तु निम्न श्रेणी के पंजीकृत विज्ञापन एजेन्सियाँ अपने से उच्च श्रेणी में निविदा/आफर में भाग नहीं ले सकेंगी।
- (2) यदि विज्ञापन एजेन्सियों द्वारा बार-बार उपविधि में दी गयी व्यवस्था के विपरीत कार्य किया जाता है तो उसका पंजीकरण निरस्त करते हुये उसे काली सूची में डाल दिया जायेगा तथा जमा धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- (3) विगत वित्तीय वर्ष की बकाया की स्थिति में विज्ञापन एजेन्सी का पंजीकरण/नवीनीकरण अनुमन्य होगा।
- 15-विज्ञापनकर्ताओं को चार वर्गों में वर्गीकरण किया गया है जो निर्धारित सीमा के अन्तर्गत ही कार्य करेंगे-

श्रेणी	विज्ञापन क्षेत्र वर्गमीटर में	पंजीकरण शुल्क	धरोहर धनराशि	नवीनीकरण धनराशि
"अ"	1000 वर्गमीटर से अधिक	₹ 50,000.00 (पचास हजार)	2,00,000.00 (दो लाख रुपये)	₹ 30,000 (तीस हजार रुपये)
"ब"	600 वर्गमीटर तक	₹ 30,000.00 (तीस हजार)	1,50,000.00 (एक लाख पचास हजार रुपये)	₹ 20,000 (बीस हजार रुपये)
"स"	400 वर्गमीटर तक	₹ 20,000.00 (बीस हजार)	1,00,000.00 (एक लाख रुपये)	₹ 10,000 (दस हजार रुपये)
"द"	100 वर्गमीटर तक	₹ 15,000.00 (पन्द्रह हजार)	75,000.00 (पचहत्तर हजार रुपये)	₹ 5,000 (पांच हजार रुपये)

अनुसूची-2

(नियम 26 देखें)

विज्ञापन और विज्ञापन पट्ट पर कर की दरें

- 1-निगम द्वारा स्वामित्वाधीन.....भूमि, दीवाल और भवन, सार्वजनिक स्थलों और सड़कों पर विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट के निर्माण और प्रदर्शन के लिए-
- | | | |
|---------------------------------------|---|------------------------------------|
| प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष प्रवर श्रेणी | : | ₹ 2,500/- प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष |
| "अ" श्रेणी | : | ₹ 1,700/- प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष |
| "ब" श्रेणी | : | ₹ 1,400/- प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष |
| "स" श्रेणी | : | ₹ 1,200/- प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष |
| "द" श्रेणी | : | ₹ 1,000/- प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष |

2-इलेक्ट्रानिक/एल0ई0डी0 अथवा अन्य डिजिटल माध्यम से प्रकाशित/संचालित विज्ञापन पट्टों हेतु (1) में निर्दिष्ट दरों पर 100 प्रतिशत अतिरिक्त दरें देय होंगी।

3-(1) निर्जा भूमि/भूवनों पर प्रदर्शित विज्ञापनों हेतु उपरोक्त (1) व (2) की 75 प्रतिशत धनराशि देय होगी।

4-ऐसे विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट जो विद्युत प्रकाश युक्त (बैक लिट/फ्रन्ट लिट) द्वारा प्रतिबिम्बित हो तो मद (1) में विनिर्दिष्ट दरों पर 50 प्रतिशत अतिरिक्त दरें देय होंगी।

5-(1) शक्ति चालित चार पहिया वाहन पर विज्ञापन (सड़क प्रदर्शन को छोड़कर)

हल्का वाहन : ₹0 500/- प्रतिमाह प्रति वाहन या 5,000 रुपया प्रतिवर्ष प्रति वाहन

भारी वाहन : ₹0 2,000 प्रतिमाह प्रति वाहन या 20,000 रुपया प्रतिवर्ष प्रति वाहन

(2) सड़क प्रदर्शन निम्नलिखित दर पर-

(एक) तीन पहिया : ₹0 100 प्रति दिन

(दो) चार पहिया : ₹0 500 प्रति दिन

(तीन) छः पहिया : ₹0 1,000 प्रति दिन

6-यूनीपोल (एक स्तम्भ)-

1-प्रवर श्रेणी : ₹0 4,000/- प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

2-"अ" श्रेणी : ₹0 2,800/- प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

3-"ब" श्रेणी : ₹0 2,300/- प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

4-"स" श्रेणी : ₹0 1,800/- प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

5-"द" श्रेणी : ₹0 1,500/- प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

7-विद्युत तथा अन्य खम्भों पर विज्ञापन पट्ट-

प्रवर श्रेणी : ₹0 2,500/- प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

"अ" श्रेणी : ₹0 2,000/- प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

"ब" श्रेणी : ₹0 1,500/- प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

"स" श्रेणी : ₹0 1,200/- प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

"द" श्रेणी : ₹0 1,000/- प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

8-पोस्टर : ₹0 300/- प्रति सैकड़ा

9-परचा : ₹0 600/- प्रति हजार

10-पताका (बैनर) : ₹0 100/- प्रति बैनर

11-गुब्बारे : ₹0 500/- प्रति गुब्बारा प्रतिदिन

12-छतरी (कैनोपी) : ₹0 500/- प्रति छतरी (कैनोपी) प्रतिदिन

13-ट्री गार्ड : मद (1) के अनुसार

14-जन सुविधा स्थान पर विज्ञापन : मद (1) के अनुसार

15-पुलिस बूथ/ट्रैफिक आइलैण्ड/कैन्टीलीवर पोल (ट्रैफिक सिग्नल)-

प्रवर श्रेणी	:	रु0 4,500/- प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
“अ” श्रेणी	:	रु0 3,500/- प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
“ब” श्रेणी	:	रु0 2,500/- प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
“स” श्रेणी	:	रु0 1,500/- प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
“द” श्रेणी	:	रु0 1,000/- प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

16-बस सायबान (बस शेल्टर)-

प्रवर श्रेणी	:	रु0 4,000/- प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
“अ” श्रेणी	:	रु0 3,000/- प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
“ब” श्रेणी	:	रु0 2,500/- प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
“स” श्रेणी	:	रु0 2,000/- प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
“द” श्रेणी	:	रु0 1,000/- प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

17-गैन्ट्री/कैन्टीलीवर पोल-

प्रवर श्रेणी	:	रु0 3,500/- प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
“अ” श्रेणी	:	रु0 3,000/- प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
“ब” श्रेणी	:	रु0 2,500/- प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
“स” श्रेणी	:	रु0 2,000/- प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
“द” श्रेणी	:	रु0 1,000/- प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

18-आटो रिक्शा श्री व्हीलर

:

रु0 1,000/- प्रतिवर्ष प्रति आटो

19-बसों पर

:

रु0 2,000/- प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

20-दीवारों पर वॉल राइटिंग : विज्ञापन कर की दर मद संख्या-1 के अनुसार।

21-रेलवे की जमीन पर लगने वाली होर्डिंग जिसका भाग सड़क के सम्मुख होने की दशा में अनुसूची-2 में अंकित विज्ञापन की दरों के क्रमांक-1 के अनुसार देय होगा।

22-उत्सव, मेला, प्रदर्शनी, सर्कस तथा इस प्रकार जनता को आकर्षित करने वाले प्रदर्शन पर न्यूनतम 03 माह का विज्ञापन कर मद सं0-1 के अनुसार लिया जायेगा।

23-ध्वनि विस्तारक यंत्र रु0 100/- प्रति बाक्स/स्पीकर प्रतिदिन।

24-जिन मदों का उल्लेख ऊपर नहीं किया गया है, उनका विज्ञापन कर मद-1 के अनुसार देय होगा।

25-निजी भूमि/भवन पर स्ट्रक्चर लगाने से पूर्व भवन की मजबूती, स्ट्रक्चर इंजीनियर से भवन की गुणवत्ता सुदृढीकरण का प्रमाण-पत्र सम्बन्धित को प्रस्तुत करना होगा।

26-इस अनुसूची के निर्दिष्ट कर की दरें अनुवर्ती वित्तीय वर्ष जिसमें वह उपविधि प्रवृत्त हुई हो, के दो वित्तीय वर्षों की समाप्ति के बाद 10 प्रतिशत तक बढ़ी हुई समझी जायेगी। तत्पश्चात् इसी प्रकार की वृद्धि प्रत्येक दो वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् प्रभावी होगी।

27-कर अग्रिम रूप से संदेय योग्य होगा।

28-स्वीकृति विज्ञापन पट्ट/यूनीपोल/गैन्ट्री/कैन्टीलीवर के लिये जोनवार अलग-अलग रंग निर्धारित करके नगर निगम स्तर से चिन्हांकन करना अनिवार्य होगा।

स्पष्टीकरण-(1) यदि कोई विज्ञापनकर्ता किसी विज्ञापन को 3 माह से अधिक अवधि के लिये प्रदर्शित करना चाहता है तो नगर आयुक्त निर्देश दे सकते हैं कि कर मासिक आधार पर आंगणित होगा। सम्पूर्ण धनराशि एक बार में जमा करायी जायेगी।

(2) कर के सभी अवशेष अधिनियम के अध्याय इक्कीस के अनुसार वसूली योग्य होंगे।

(3) इसके अतिरिक्त भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा निर्धारित देय कर भी विज्ञापन एजेन्सियों द्वारा देय होंगे।

देवेन्द्र कुमार सिंह कुशवाहा,
नगर आयुक्त।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा शैक्षिक प्रमाण-पत्र में मेरी माताजी का नाम केवल "MADHU" अंकित हो गया है, जबकि मेरी माताजी का वास्तविक नाम "MADHU DULARI" है। कृपया मेरे शैक्षिक अभिलेखों में मेरी माता का सही नाम "MADHU DULARI" अंकित किया जाये।

दीपक श्रीवाथम,
बी-163, एनएच-4, एनटीपीसी, कालोनी,
रिहन्दनगर, बीजपुर, सोनभद्र-231223।

सूचना

यह कि मेरे पुत्र आसिम अली के शैक्षिक दस्तावेजों में भूलवश मेरा नाम जौहरा अली दर्ज हो गया है। भविष्य में मेरे पुत्र के शैक्षिक दस्तावेजों में मेरा जौहरा परवीन पत्नी डा0 चमन अली सैफी 195, मोरी गेट, नई बस्ती अनूपशहर, जिला बुलन्दशहर से जाना जाये।

जौहरा परवीन।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स शाकुम्भरी डवलपर्स इंडिया हाऊस, अम्बाला रोड निकट बस स्टैन्ड, सहारनपुर जिसका रजिस्ट्रेशन दिनांक 08 अप्रैल, 2015 ई0 को सहायक रजिस्ट्रार कार्यालय फर्म सोसायटी एवं चिट्स सहारनपुर, परिक्षेत्र सहारनपुर में हुआ था। दिनांक 08 अप्रैल, 2015 ई0 को फर्म में श्रीमती अन्जु जुनेजा पुत्री श्री अमीर चन्द, निवासी राधा स्वामी कालोनी, नुमायश कैम्प रोड, सहारनपुर, चेतन खट्टर पुत्र श्री सूरज प्रकाश खट्टर, निवासी 25 मिशन कम्पाउन्ड सहारनपुर, प्रदीप सचदेवा व राजीव सचदेवा पुत्रगण श्री केवल कृष्ण सचदेवा, निवासीगण बी-179 पुराना आवास विकास, सहारनपुर तथा अशोक कुमार पोसवाल पुत्र श्री रणधीर सिंह, निवासी गिल कालोनी, सहारनपुर फर्म में साझेदार थे। दिनांक 01 मई, 2015 ई0 को चेतन खट्टर व अशोक कुमार पोसवाल फर्म से अलग हो गये तथा उनके स्थान पर राजकुमार पुत्र श्री हरि कृष्ण, निवासी 14 एम0आई0जी0 न्यू आवास विकास, सहारनपुर व सुरेन्द्र कुमार अरोडा पुत्र श्री भजन प्रकाश अरोडा,

निवासी सी-26 बसन्त विहार, सहारनपुर फर्म में सम्मिलित हो गये। वर्तमान में श्रीमती अन्जु जुनेजा पुत्री श्री अमीर चन्द, निवासी राधा स्वामी कालोनी नुमायश कैम्प रोड, सहारनपुर, प्रदीप सचदेवा व राजीव सचदेवा पुत्रगण श्री केवल कृष्ण सचदेवा, निवासीगण बी-179 पुराना आवास विकास, सहारनपुर, राजकुमार पुत्र श्री हरि कृष्ण, निवासी 14 एम0आई0जी0 न्यू आवास विकास, सहारनपुर व सुरेन्द्र कुमार अरोडा पुत्र श्री भजन प्रकाश अरोडा, निवासी सी-26 बसन्त विहार, सहारनपुर फर्म उपरोक्त में साझीदार हो गये हैं। उक्त के सम्बन्ध में यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अन्दर सहायक रजिस्ट्रार फर्म सोसायटी एवं चिट्स रेलवे रोड, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे, निर्धारित अवधि बीत जाने के उपरान्त किसी भी प्रकार की आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा तथा सहायक रजिस्ट्रार कार्यालय उक्त द्वारा साझीदारी अधिनियम, 1932 के तहत कार्यवाही सुनिश्चित कर ली जायेगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व फर्म का होगा।

साझीदार,
श्रीमती अन्जु जुनेजा पुत्री श्री अमीर चन्द,
निवासी-राधा स्वामी कालोनी,
नुमायश, कैम्प रोड, सहारनपुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की प्रमाण-पत्र-सह अंक-पत्र में मेरी माता का नाम राम देवी अंकित है जो गलत है। मेरी माता का सही नाम "राजवती" है।

शारदादीन,
पता-ग्रा0 व पो0 भौली,
जनपद हमीरपुर।

सूचना

भूलवश मेरे कुछ प्रमाण-पत्र अजय कुमार जैन के नाम से बन गये हैं। जबकि वास्तव में मेरा नाम दीपांकर जैन है और इसी नाम से मुझे जाना, पहचाना और पुकारा जाता है। मुझे इसी नाम से जानें। दीपांकर जैन पुत्र चन्द्र कुमार जैन, पता-211 जे0 के0 नगर विभव नगर, फिरोजाबाद।

दीपांकर जैन।